आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भरतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

www.ibbi.gov.in

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में दिनांक 1 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्रारूप के अनुरूप है।

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

श्री रवि मितल

पूर्णकालिक सदस्य

श्री सुधाकर शुक्ला

श्री जयंती प्रसाद

श्री संदीप गर्ग

पदेन सदस्य

डॉ राजीव मणि
सचिव
विधिक कार्य विभाग और
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय

श्री उन्नीकृष्णन ए.
प्रधान विधि सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

श्रीमती अनिता शाह अकेला
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

श्रीमती रीतू जैन
आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

अंशकालीन सदस्य

श्री दीनबंधु मोहपात्रा
पूर्व महानिदेशक (सीईओ)
बैंक ऑफ़ इंडिया

श्री एम.पी राम मोहन
प्रोफ़ेसर
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

कार्यकारी निदेशक
(31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

नाम	कार्य
श्री रीतेश कावड़िया	दिवाला, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रभाग
	आईटी प्रभाग
श्री संतोष कुमार शुक्ला	आईपी अनुश्रवण प्रभाग अनुसंधान और पक्ष समर्थन प्रभाग • अनुसंधान मार्गदर्शन समूह (आरजीजी) • पक्ष–समर्थन • अनुसंधान और प्रकाशन • ज्ञान प्रबंधन • साझेदारी • सतत व्यावसायिक शिक्षा • अंतरराष्ट्रीय मामले
श्री सतीश सेठी	आईपी प्रभाग
	मूल्यांकन और आईयू प्रभाग
	परीक्षा प्रभाग
	वित्त और लेखा
	मानव संसाधन और स्थापना प्रभाग
श्री जितेश जॉन	कानूनी और अभियोजन प्रभाग • विधिक मामले • न्यायनिर्णयन • अभियोजन • न्यायालय की कार्यवाही • अनुशासन समिति को भेजे गए मामलों के प्रकरण से संबंधित विषय
	बोर्ड सचिवालय प्रभाग • बोर्ड की बैठकें • कार्यनीति • संचार • संसद • एफएसडीसी से संबंधित मामले • वार्षिक रिपोर्ट
	आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत मंच
	सीवीओ/ सतर्कता और आरटीआई एफएए

आईबीबीआई के अधिकारी

(31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री शिव अनंत शंकर	सीजीएम
2.	श्री सी. रामचंद्र राव	जीएम
3.	श्री बी. शंकरनारायणन	जीएम
4.	श्री राजेश कुमार	जीएम
5.	श्री राजेश तिवारी	जीएम
6.	श्री सुशांत कुमार दास	डीजीएम
7.	श्री केशव कुमार गिरिधारी	डीजीएम
8.	श्री मयंक मेहता	डीजीएम
9.	श्री नीतीश सैनी	डीजीएम
10.	श्री रवि कुमार वशिष्ट	डीजीएम
11.	श्रीमती शालिनी शाह	डीजीएम
12.	श्री राहुल खन्ना	एजीएम
13.	श्री शेषाद्रि सरकार	एजीएम
14.	श्री अनिकेत शर्मा	एम
15.	श्री प्रतीक जैन	एम
16.	श्री राधा रमण कुमार	एम
17.	श्री राघव माहेश्वरी	एम
18.	सुश्री अर्चना शर्मा	एम
19.	श्री विनय पांडे	एम
20.	श्रीमती पूजा सिंगला	एम
21.	श्री असित बेहरा	एम
22.	श्री अंशुल अग्रवाल	एम
23.	श्रीमती मेधा शेखर	एम
24.	श्रीमती मनप्रीत कौर	एम
25.	श्री अभिषेक मित्तापल्ली	एम
26.	श्री ओम प्रकाश	एम
27.	श्रीमती नमिशा सिंह	एम
28.	श्री दीप्तांशु सिंह	एम
29.	श्री यादविंदर सिंह	एम
30.	श्री राममिलन सिंह यादव	एम
31.	श्री सरम संतोष	एम
32.	श्री विकास चन्द्र विद्यार्थी	एएम
33.	श्री अशोक कुमार झा	एएम
34.	श्री नीरज कुमार	एएम

विषयवस्तु

व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
सारणियों की सूची.	**ix**
चित्रों की सूची.	**ix**
संक्षेपाक्षरों की सूची.	**x**
अध्यक्ष का कथन.	**1**
खः समीक्षाधीन वर्ष.	**3**
संहिता के तहत परिणाम.	3
वित्तीय सेवा प्रदाताओं समाधान.	4
प्री–पेकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया .	5
व्यैक्तिक प्रक्रिया.	5
दिवाला समाधान प्रक्रिया.	5
शोधन अक्षमता प्रक्रिया.	6
प्रमुख नीतिगत घटनाएं.	6
गः बोर्ड के कार्य.	**9**
अर्ध–विधायी कार्य.	9
सलाहकार समिति.	9
कार्यकारी कार्य.	9
सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण.	9
आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापन.	9
आईपी का पैनल.	10
क्षमता निर्माण.	10
सतत व्यावसायिक शिक्षा.	10
सीमित दिवाला परीक्षा.	10
मूल्यांकन परीक्षाएँ.	11
रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार.	11
आईयू के पास उपलब्ध सूचना का विवरण.	11
शिकायत और परिवाद.	12
निरीक्षण और अन्वेषण .	13
आईबीबीआई द्वारा की गई अभियोजन कार्रवाई.	13
अर्ध–न्यायिक कार्य.	13
घः बोर्ड का कार्य–निष्पादन.	**15**

व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
ङः शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन.	**19**
शासी बोर्ड की बैठकें.	19
निष्पादन का मूल्यांकन.	19
आगामी मार्ग.	21
चः नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप.	**22**
च:1: सेवा प्रदाता.	22
परिपत्र.	23
च:2: प्रक्रियाएं.	25
च:3: हितधारकों का जुड़ाव.	27
शैक्षणिक जुड़ाव.	32
आईपी संगोष्ठी.	32
क्षमता निर्माण.	33
च:4: अनुसंधान.	35
छः परिणामों का विश्लेषण.	**36**
उभरते न्यायशास्त्र.	36
जः संहिता का प्रभाव.	**40**
झः बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन.	**43**
ञः सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन.	**44**
टः संगठनात्मक मामले.	**51**
उत्तरदायित्व केंद्र.	51
शासी बोर्ड.	51
लेखा परीक्षा समिति.	51
अनुशासन समिति.	51
आतंरिक शिकायत समिति.	52
मानव संसाधन.	52
अनुसंधान एसोसिएट.	52
कर्मचारी.	52
आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिदेश, 2023.	52
इन्टर्न्स.	52
प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन.	52
वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप.	54
सूचना का अधिकार एवं पारदर्शिता.	54

सारणियों की सूची

क्र. सं.	सारणियों की सूची	पृष्ठ संख्या
सारणी 1	आईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का सारांश	3
सारणी 2	समाधान का विवरण वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान	4
सारणी 3	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पीपीआईआरपी के चालू मामले	5
सारणी 4	व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान	5
सारणी 5	2023–24 में नीति और नियामक विकास का कालानुक्रम	6
सारणी 6	सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण	9
सारणी 7	31 मार्च 2024 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापन	9
सारणी 8	2023–24 के दौरान तैयार किए गए आईपी पैनल	10
सारणी 9	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे	10
सारणी 10	2023–24 में आयोजित मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश	11
सारणी 11	एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण	12
सारणी 12	31 मार्च, 2024 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निस्तारण	12
सारणी 13	आईबीबीआई द्वारा आईपी के किए गए निरीक्षण	13
सारणी 14	आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई	13
सारणी 15	आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उसका निपटान करना	13
सारणी 16	आरवी/ आरवीई/ आरवीओ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और निस्तारण	14
सारणी 17	शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	19
सारणी 18	2023–24 में शासी बोर्ड का निष्पादन	19
सारणी 19	सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकासक्रम	22
सारणी 20	बोर्ड द्वारा 2023–24 पत्र गए में जारी	23
सारणी 21	2023–24 के दौरान प्रक्रियाओं से संबंधित विनियामक विकास	25
सारणी 22	2023–24 में बोर्ड द्वारा आयोजित पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम	27
सारणी 23	2023–24 में आयोजित निबंध प्रतियोगिता	32
सारणी 24	2023–24 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता	32
सारणी 25	मार्च 2024 के अंत तक आईपी के लिए क्षमता निर्माण पहल	33
सारणी 26	2023–24 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन	35
सारणी 27	उभरती न्याय–प्रणाली का सारांश, 2023–24	36
सारणी 28	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आय और व्यय विवरण	43
सारणी 29	सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण	44
सारणी 30	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड	51
सारणी 31	अनुशासन समिति का गठन	52
सारणी 32	आईबीबीआई के कर्मचारी	52
सारणी 33	2023–24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया	53
सारणी 34	आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	53
सारणी 35	आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निस्तारण	55

चित्रों की सूची

चित्र 1:	परिसमापन आदेशों तक ले जाने वाले समाधान का अनुपात	40

संक्षेपाक्षरों की सूची

एए	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
एएआरवीएफ	मूल्यांकक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान
एसी	सलाहकार समिति
एएफए	कार्य के लिए प्राधिकृत करना
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एएम	सहायक प्रबंधक
एआर	प्राधिकृत प्रतिनिधि
एसोचैम	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बोर्ड/आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड विनियमन	आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2016
बीएसई	बंबई स्टॉक एक्सचेंज
बीटी	शोधन अक्षमता न्यासी
सी–एजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीएफआरएएल	उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र
सीडी	कारपोरेट देनदार
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीआईएन	कारपोरेट पहचान संख्या
सीआईआरपी(एस)	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(एं)
सीआईआरपी विनियम	आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सीओसी	लेनदारों की समिति
संहिता/ आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सीजीएम	मुख्य महा प्रबंधक
सीएलआरए	लेनदार प्रणेत समाधान अनुसंधान
सीपीई	सतत व्यावसायिक शिक्षा
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली
डीसी	अनुशासनात्मक समिति
डीजीएम	उप–महाप्रबंधक
डीआरटी	ऋण उगाही अधिकरण
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफसीडीओ	विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफआईएसपी	वित्तीय सेवा प्रदाता
जीए/पीए	सामान्य सहायक/ व्यैक्तिक सहायक
जीबी	शासी बोर्ड
जीएम	महाप्रबंधक
जीएसटी	वस्तुएं और सेवाएं कर
एचसी	उच्च न्यायालय
आईएआईआर	इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेग्यूलेटर्स
आईबीए	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आईसीएआई(लागत)	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीएआई आरवीओ	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
आईसीएमएस	दिवाला मामला प्रबंधन प्रणाली
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआई आईआईपी	आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईआईसीए	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान
आईआईआईपीआई	भारतीय आईसीएआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईवीआरवीएफ	आईआईवी भारतीय रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान
आईआईआरपी	व्यैक्तिक दिवाला समाधान प्रक्रिया
आईएम	सूचना ज्ञापन

आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओवी	आईओवी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान
आईपी(एस)	दिवाला व्यावसायिक(कों)
आईपी विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
आईपीए(ज)	दिवाला व्यावसायिक अभिकरण/ अभिकरणों
आईपीएएस	इन्सोलवेंसी प्रेक्टिशनर्स ऑफ़ सिंगापुर लिमिटेड
आईपीए आईसीएआई	आईसीएआई (लागत) दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
आईपीई(ज)	दिवाला व्यावसायिक एंटिटी/ इंटिटीज
आईआरपी	अंतरिम समाधान व्यावसायिक
आईआरपी पीजीसीडी नियम	दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायानिर्नयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019
आईएसटीएम	सचिवालयी प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान
आईयू	सूचना उपयोगिता
आईयू विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017
आईवीएएस	इंस्टीट्यूट ऑफ़ वैल्यूर्स एंड अप्रेजर्स, सिंगापुर
आईवीएससी	इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टेन्डर्स काउंसिल
परिसमापन प्रक्रिया विनियम	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016
एम	प्रबंधक
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमडी	प्रबंध निदेशक
आदर्श उप–नियम विनियम	आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उप नियम और शासी परिषद) विनियम, 2016
एमओयू	समझौता–ज्ञापन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनईएसएल	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनएलयूडी	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एनपीए	अनर्जक परिसंपत्तियाँ
एनपीसी	राष्ट्रीय उत्पदकता परिषद
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
पीडीएनएएसएस	पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान
पीजी	व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाता
सीडी के पीजी विनियम (आईआईआरपी)	आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016
सीडी के पीजी विनियम (शोधन अक्षमता प्रक्रिया)	आईबीबीआई (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019
पीएचडीसीसीआई	पीएचडी चैंबर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री
पीपीआईआरपी	प्रि–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया
आर, सी – एसएआरजी	जोखिम, अनुपालन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समूह
आरए	समाधान आवेदक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएफआरपी	समाधान योजना के लिए अनुरोध
आरओडी	व्यतिक्रम का अभिलेख
आरपी	समाधान व्यावसायिक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवी(ज)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/ मूल्यांककों
आरवीई	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एंटिटी
आरवीओ(ज)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन/ संगठनों
आरवीओ ईएसएमए	आरवीओ संपदा प्रबंधक और मूल्यांकक प्रतिष्ठान
एससी	उच्चतम न्यायालय
एससीबीज	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएन	कारण बताओ सूचना
एससीसी	हितधारक परामर्श समिति
एसआरए	सफल समाधान आवेदक
यूएनआईईआरओआईटी	अंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत विधि एकीकरण संस्थान
स्वैच्छिक परिसमापन विनियम	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम नियम, 2017
डब्ल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

अध्यक्ष का कथन

1.1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) के प्रदर्शन के संदर्भ में वर्ष 2023–24 अपनी आरम्भ के बाद से ही असाधारण रहा है। संहिता के अधीन परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय उपायों के नेतृत्व में, इस वित्त वर्ष में एनसीएलटी द्वारा रिकॉर्ड संख्या में 269 समाधान योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जो पिछले वित्त वर्ष से 42% की उल्लेखनीय वृद्धि है, पिछले वर्ष 189 समाधान हुए थे। संहिता के अधीन प्रस्तावों की कुल संख्या अब 947 तक पहुंच गई है, जिसमें लेनदारों ने स्वीकार किए गए दावों के समक्ष 32% और परिसमापन मूल्य के समक्ष 162% की वसूली की है। परिसमापन की संख्या के लिए समाधानों की संख्या का अनुपात भी पिछले वित्त वर्ष में 0.46 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 0.61 हो गया।

1.2 ऋण चूक के शीघ्र निपटान की दिशा में देनदारों के व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन का श्रेय आईबीसी को दिया जाता है। इस आशय से, वित्त वर्ष 2024 में आईबीसी ने संहिता की धारा 12क के अधीन वापसी के माध्यम से 308 सीडी को 159 में द्विविभाजित करके बचाया है और हितधारकों ने अपील/समीक्षा/निपटान होने पर 149 मामलों को वापस लिया है।

1.3 संहिता की प्रभावशीलता इस तथ्य से सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होती है कि यह लंबे समय से लंबित या निष्क्रिय मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। आईबीसी के अधीन समाधानित लगभग 40% मामले पहले बीआईएफआर या निष्क्रिय मामलों के साथ थे। इस तथ्य के बावजूद कि ये मामले बीआईएफआर में लटके हुए थे या अन्यथा निष्क्रिय थे, आईबीसी ने ऐसे मामलों में लेनदारों के लिए स्वीकार किए गए दावों का लगभग 20% और परिसमापन मूल्य का 155% वसूल किया।

1.4 वसूली के आंकड़ों से परे संहिता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, आईआईएम अहमदाबाद ने ऐसी फर्मों के समाधान के बाद के प्रदर्शन को मापने के लिए संहिता के अधीन प्रक्रिया से गुजरने वाली फर्मों का महत्वपूर्ण अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि कुल मिलाकर इन फर्मों के प्रदर्शन में समाधान के बाद काफी सुधार हुआ है और लाभप्रदता, तरलता, गतिविधि और टर्नओवर अनुपात में स्पष्ट लाभ हुआ है।

1.5 संहिता के अधीन किए गए उपर्युक्त कदम सरकार, न्यायालयों और अधिकरणों और आईबीबीआई के कहने पर सक्रिय उपायों, नीतिगत परिवर्तनों और व्यापक हितधारक जुड़ाव के कारण हुए हैं। आईबीबीआई ने वित्त वर्ष 2023–24 में 12 संशोधन विनियमों को अधिसूचित किया और 12 परिपत्र जारी किए। मैं वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आईबीबीआई द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, भू–संपदा मामलों में घर खरीदने वालों के हित में, आईबीबीआई ने संबंधित विनियमों में संशोधन किया ताकि समाधान व्यावसायिक को उनके समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए, घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए, भू–संपदा मामले के भीतर प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग समाधान योजनाएं आमंत्रित करने की अनुमति मिल सके, बोर्ड ने ऐसी परिसंपत्तियों को परिसमापन संपदा से बाहर रखने की अनुमति दी।

1.6 दावेदारों के लाभ के लिए और दावेदारों को अपने दावे फ़ाइल करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से कई हितधारकों से जुड़े बड़े और जटिल मामलों में, आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया ताकि दावा फ़ाइल करने की अवधि आरएफआरपी जारी होने की तारीख तक या दिवाला शुरू होने की तारीख से 90 दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दी जा सके। संहिता के अधीन समाधान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, बोर्ड ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया ताकि सीओसी योजना के कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति गठित करने की आवश्यकता पर विचार कर सके। परिसमापन प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार करने और परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की निजी बिक्री की अनुमति देने वाले उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, आईबीबीआई ने परिसमापन विनियमों में संशोधन किया, जिसमें परिसमापक को सीडी की किसी भी परिसंपत्ति की निजी बिक्री करने से पहले एससीसी से अनिवार्य रूप से परामर्श करने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान शुरू किए गए अनेक उपायों के अलावा ये सभी उपाय संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायक हैं।

1.7 हितधारकों की सहभागिता आईबीबीआई के नियामक हस्तक्षेपों की आधारशिला रही है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आईबीबीआई ने 3 आईपी कॉन्क्लेव और 52 गोलमेज सम्मेलन, वेबिनार और पक्ष–समर्थन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों ने नियामक के लिए साउंडिंग बोर्ड के रूप में काम किया है, हस्तक्षेप के

लिए संभावित नए क्षेत्रों को सामने लाया है, बाजार की विफलताओं को ठीक किया है, दिवाला व्यावसायिकों के आचरण की निगरानी की है आदि। वर्ष के दौरान हितधारकों के समर्थन से बोर्ड की अनुसंधान पहलों को भी मजबूत किया गया। आईआईएम अहमदाबाद ने आईबीबीआई के सहयोग से मार्च, 2024 में दिवाला और शोधन अक्षमता पर अपनी पहली वार्षिक शोध कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 20 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। हितधारकों के योगदान से वित्त वर्ष 24 में दो आईबीबीआई शोध प्रकाशनों का प्रकाशन भी हुआ।

1.8 प्रतिस्पर्धी हितों वाले कई हितधारकों द्वारा अभियोजनों के कारण अक्सर होने वाली देरी, पहले से ही संकटग्रस्त सीडी के मूल्य को और कम कर देती है, और लेनदारों के लिए वसूली मूल्य को कम कर देती है। आईबीबीआई के पास मौजूद समाधान डेटा से संकेत मिलता है कि कम समय सीमा के भीतर सुलझाए गए मामलों में वसूली दर अधिक होती है, जबकि लंबी समाधान अवधि से वसूली दरों में कमी देखी जाती है। इसलिए, सभी हितधारकों के लिए सभी के सामूहिक हित में प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने में तेजी लाना महत्वपूर्ण है।

1.9 जैसे ही संहिता का अगले वित्तीय वर्ष में प्रवेश होता है, क्षितिज पर सुधार के लिए नए क्षेत्र उभर आते हैं। सरकार ने आईबीसी के अधीन एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसे एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ निर्मित करने वाली प्रमुख संस्थाओं को एकीकृत करेगा और संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत मामला प्रबंधन प्रणाली के रूप में काम करेगा। अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करते हुए, आईबीबीआई समाधान प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा आईबीसी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विनियामक आवश्यकताओं पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(रवि मितल)

ख समीक्षाधीन वर्ष

संहिता के तहत परिणाम

2.1 इस खंड में आरपी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करते हुए, दिवाला कार्यवाही के परिणामों के आधार पर 2023–24 के दौरान मुख्य परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। संहिता के अन्य परिणामों को इस रिपोर्ट के अन्य खंडों में वर्णित किया गया है।

2.2 मार्च, 2023 के अंत तक प्रक्रियाओं का सारांश – सीआईआरपी, कारपोरेट परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन सारणी 1 में प्रस्तुत है।

सारणी 1: सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का सारांश

(संख्या, यथा–कथित को छोड़कर)

फ़ाइल किए गए, बंद किए गए और जारी सीआईआरपी मामले		
	31 मार्च, 2024 तक	2023–24 में
फ़ाइल किए गए सीआईआरपी मामलों की कुल संख्या	7567	987
बंद किए गए कुल सीआईआरपी मामले	5647	1020
अपील / समीक्षा / निपटाए गए / अन्य द्वारा बंद किए गए:	1154	149
धारा 12क के अधीन वापसी	1070	159
समाधान योजना का अनुमोदन	947	269
परिसमापन का प्रारंभ	2476	443
जारी सीआईआरपी	1920	
समाधान में समाप्त होने वाले सीआईआरपी		
समाधान में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	947	269
लिया गया समय:		
0–180 दिन	8	0
181–270 दिन	54	10
270+ दिन	885	259
औसत दिन	679	849
कुल स्वीकृत दावे (करोड़ रुपये में)	1046283	174291
एफसी के फ़ाइल किए गए दावे	946606	162597
ओसी के फ़ाइल किए गए दावे	99677	11694
वसूली योग्य कुल राशि (करोड़ रुपये में)	335901	47653
एफसी द्वारा वसूली योग्य राशि	325236	46205
ओसी द्वारा वसूली योग्य राशि	10665	1448
फ़ाइल किए गए दावों के % के रूप में दावेदारों द्वारा वसूली योग्य कुल राशि	32.10	27.34
एफसी द्वारा फ़ाइल के गए दावों के % के रूप में वसूली योग्य राशि	34.36	28.42
ओसी द्वारा फ़ाइल के गए दावों के % के रूप में वसूली योग्य राशि	10.70	12.38
परिसमापन मूल्य (करोड़ रुपये में)	207653	34559
परिसमापन मूल्य के % के रूप में दावेदारों द्वारा वसूली योग्य कुल राशि	161.76	137.89
मामलों की संख्या जहां वसूली परिसमापन मूल्य से कम है	237	79
समाधान मामलों में बीआईएफआर / निष्क्रिय कंसर्न	375	119

परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी		
	31 मार्च, 2024 तक	2023–24 में
परिसमापन में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	2476	443
लिया गया समय		
0–180 दिन	190	40
181–270 दिन	433	43
270+ दिन	1853	360
औसत दिन	495	673
कुल दावाः (करोड़ रुपये में)	1100745	141234
एफसी के दावे	999743	130367
ओसी के दावे	101002	10867
परिसमापन मूल्य (करोड़ रुपये में)	69634	5255
फ़ाइल किए गए कुल दावों के % के रूप में परिसमापन मूल्य	6.33	3.72
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें समाधान योजना (योजनाएं) प्राप्त हुई हैं	582	99
स्वैच्छिक परिसमाप		
वर्ष के आरंभ में स्वैच्छिक परिसमापन	–	472
शुरू किए गए	1895	334
वापस लिए गए	34	12
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	1393	326
जारी परिसमापन	468	468
परिहार लेनदेन		
आईपीज द्वारा फ़ाइल किए गए अनियमित लेनदेन के संबंध में आवेदनों की संख्या	1237	–
अनियमित लेनदेन के संबंध में आवेदनों में निहित राशि (करोड़ रुपये में)	370942	–

वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

2.3 सभी चार वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफआईएसपी) अर्थात दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सीआईआरपी ने संहिता के अधीन समाधान प्राप्त किया है।

सारणी 2: समाधान का विवरण वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समाधान के अंतर्गत निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे					समाधान आवेदक
	एफआईएसपी का नाम	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	स्वीकृत दावों के % के रूप में वसूली	परिसमापन मूल्य के % के रूप में वसूली	
1	दीवान हाउसिंग फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड	87247.68	37167.00	42.60%	138.42%	पिरामल केपिटल – हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
2	श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड	33050.43	13784.76	42.12%	280.74%	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

3	श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड					नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
4	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	26088.97	9661.00	37.03%	73.42%	इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड

प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया

2.4 केंद्र सरकार ने 11 अगस्त, 2021 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू किया, जिसे 4 अप्रैल, 2021 को लागू माना गया, जिसमें कारपोरेट एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी की शुरुआत की गई। आईबीबीआई के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक पीपीआरआईपी शुरू करने के लिए दस आवेदन स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से एक को वापस ले लिया गया है और पाँच मामलों में समाधान योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है, यानी अमृत इंडिया लिमिटेड, सुदल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड, एनएन टी इंटरनेशनल लिमिटेड और जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। चल रहे मामलों का विवरण सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पीपीआईआरपी के चालू मामले

क्र. सं.	सीडी का नाम	प्रवेश की तारीख	एनसीएलटी पीठ का नाम
1	मुद्रा लाइफस्पेस प्राइवेट लिमिटेड	06.12.23	मुंबई
2	केथोस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	04.01.24	अहमदाबाद
3	श्रीमती फैशन प्राइवेट लिमिटेड	05.01.24	कोलकाता
4	क्रेटोस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	01.02.24	मुंबई

व्यैक्तिक प्रक्रियाएँ

दिवाला समाधान प्रक्रिया

2.5 सीडी के पीजी संबंधी दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित उपबंध 1 दिसंबर, 2019 को लागू हुए। आवेदकों, आईपी से प्राप्त जानकारी और एनसीएलटी और डीआरटी की विभिन्न बेंचों से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक 2,800 आवेदन फ़ाइल किए गए हैं। 2,800 आवेदनों में से, आरपी की नियुक्ति से पहले 93 आवेदन वापस ले लिए गए/अस्वीकार कर दिए गए/निरस्त कर दिए गए और 1359 मामलों में आरपी नियुक्त किए गए। आरपी की नियुक्ति के बाद, 70 मामले वापस ले लिए गए/अस्वीकार कर दिए गए/निरस्त कर दिए गए और 383 मामले स्वीकार किए गए।

सारणी 4: व्यैक्तिक प्रत्याभूतिदाताओं का दिवाला समाधान

अवधि	फ़ाइल किए गए आवेदनों की संख्या	आरपी की नियुक्ति से पहले		उन मामलों की संख्या जहां आरपी नियुक्त किए गए हैं*	आरपी की नियुक्ति के बाद		स्वीकृत मामलों की संख्या
		वापस लिए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकार/निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या		वापस लिए गए मामलों की संख्या	अस्वीकार/निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या	
2019 – 20	26	0	0	2	0	0	0
2020 – 21	274	6	1	35	2	1	13
2021 – 22	995	15	15	425	0	7	35
2022 – 23	889	18	29	517	14	20	202
2023 – 24	616	3	6	380	14	12	133
कुल	**2800**	**42**	**51**	**1359**	**30**	**40**	**383**

**इसमें स्वीकृत मामले और आरपी की नियुक्ति के बाद वापस लिए गए या निरस्त किए गए मामले शामिल हैं।*

2.6 फ़ाइल किए गए 383 मामलों में से 124 को बंद कर दिया गया है। इनमें से 12 को वापस ले लिया गया है; 86 को पुनर्भुगतान योजना जमा न करने या अस्वीकार करने पर बंद कर दिया गया है; और 26 ने पुनर्भुगतान योजना को स्वीकृति दे दी है। लेनदारों को 102.78 करोड़ रुपये की वसूली हुई है., जो उनके स्वीकृत दावे का 2.16% है।

शोधन अक्षमता प्रक्रिया

2.7 यदि समाधान प्रक्रिया विफल हो जाती है या पुनर्भुगतान योजना लागू नहीं होती है, तो देनदार या लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदकों से प्राप्त जानकारी, आईपी और एनसीएलटी और डीआरटी की विभिन्न पीठों से एकत्र किए गए डेटा के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक 37 शोधन अक्षमता आवेदन फ़ाइल किए गए हैं।

प्रमुख नीतिगत विकास

2.8 वर्ष 2023–24 के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में प्रमुख नीति और नियामक विकास, जिसमें अन्य प्राधिकरणों और नियामक निकायों द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं भी शामिल हैं, सारणी 5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 5: 2023–24 में नीति और नियामक विकास का कालानुक्रम

तारीख	विकास
24.05.2023	संहिता के अधीन लेनदार के नेतृत्व वाले समाधान दृष्टिकोण के लिए विनियामक ढांचे की अनुशंसा करने के लिए आईबीबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संहिता के अंतर्गत कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया को तेज करने के लिए 'अदालत के बाहर' शुरू की गई सीएलआरए का विवरण दिया गया है।
14.06.2023	केंद्र सरकार ने उन स्थितियों में संहिता के अधीन स्थगन के उपबंधों को लागू करने से छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की है, जहां सीडी ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के अधीन अनुबंध, लाइसेंस, पट्टे आदि में प्रवेश किया है।
14.06.2023	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी कर संहिता की धारा 7 और 9 के अधीन आवेदन फ़ाइल करने वाले लेनदारों को सलाह दी कि वे अपने आवेदन के साथ आईयू द्वारा जारी आरओडी संलग्न करें।
20.07.2023	आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन करके स्पष्ट किया कि विनियमन 31क (1) के अधीन विनियामक शुल्क उन मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी भूजनाओं के समाधान के लिए आईबीसी संपदा परियोजना के संबंध में अनुमोदित समाधान योजना किसी एसोसिएशन या आवंटियों के समूह की ओर से है।
20.07.2023	आईबीबीआई ने 'स्नातक दिवाला कार्यक्रम' का नाम बदलकर 'स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम' करने के लिए आईपी विनियमों में संशोधन किया।
20.07.2023	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गठित विरासत में अटकी भू–संपदा परियोजनाओं के पुनर्वास पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अंतिम उपाय के रूप में परियोजनाओं के समाधान के लिए आईबीसी के प्रयोग की सिफारिश की गई है।
01.09.2023	आईबीबीआई ने आईपी के रूप में कार्य करने वाले आईपीई को आईबीबीआई की वेबसाइट पर सीआईआरपी प्ररूप जमा करने की ऑनलाइन सुविधा देने के लिए परिपत्र जारी किया।
18.09.2023	आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया है, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ आरपी को सीडी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा और नियंत्रण लेने में सुविधा हो, तथा लेनदारों के एक वर्ग के एआर के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान किया जा सके, जिसमें उसके कर्तव्यों और शुल्कों के लिए उपबंध शामिल हैं।
18.09.2023	आईबीबीआई ने आईपी विनियमों में संशोधन करके आईपी के नामांकन और रजिस्ट्रीकरण दोनों प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत आवेदन प्रपत्र शुरू किया है तथा रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति या रजिस्ट्रीकरण देने से प्रथम दृष्टया इंकार करने की सूचना देने की समयसीमा को कम कर दिया है।

तारीख	विकास
18.09.2023	आईबीबीआई ने आईपीए आदर्श उप–नियम विनियमों में संशोधन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आईपीए द्वारा एकीकृत आवेदन (नामांकन के लिए) के अनुमोदन के लिए 60 दिन की समय–सीमा और बोर्ड को (रजिस्ट्रीकरण के लिए) उसे अग्रेषित करने के लिए 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।
28.09.2023	आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया विनियमन के विनियमन 4(2)(ख़) के अधीन परिसमापक शुल्क की गणना को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र जारी किया।
03.10.2023	केंद्र सरकार ने मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर केप टाउन कन्वेंशन और विमान उपकरणों से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अधीन किए गए लेनदेन, व्यवस्थाओं या समझौतों पर आईबीसी के अधीन स्थगन की प्रयोज्यता से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
20.10.2023	केंद्र सरकार ने कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया है, ताकि किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सके, जिसमें संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के आधार पर नए प्रबंधन ने कार्यभार संभाला हो।
21.12.2023	आईबीबीआई ने आईआरपी पीजीसीडी नियमों के प्ररूप सी के भाग IV में लेनदार(ओं) द्वारा फ़ाइल आवेदन में आईपी द्वारा विवरण और घोषणा प्रस्तुत करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए एक परिपत्र जारी किया।
18.01.2024	आईबीबीआई ने सीमित दिवाला परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षा दोनों के लिए दो लगातार प्रयासों के बीच समय अवधि को 2 महीने से घटाकर 21 दिन करने के लिए परिपत्र जारी किया।
31.01.2024	आईबीबीआई ने आईपीए मॉडल उप–नियम विनियमों में संशोधन किया है, ताकि आईपी द्वारा धारित एएफए की वैधता को आईआरपी, आरपी, बीटी आदि के रूप में आईपी की नियुक्ति के लिए तैयार किए गए आईपी पैनलों की वैधता के साथ संरेखित किया जा सके।
31.01.2024	आईबीबीआई ने आईपी विनियमों में संशोधन किया, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ आईपी को लेनदारों/हितधारकों, जैसा भी मामला हो, की निर्दिष्ट अनुशंसा और एए के अनुमोदन के अध्यधीन, किसी असाइनमेंट से त्यागपत्र देने की अनुमति दी जा सके।
31.01.2024	आईबीबीआई ने स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वैच्छिक परिसमापन आरंभ करने से पहले लंबित कार्यवाही या अभियोजन का खुलासा करने और कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पहले कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में निधियों पर अधिकार का दावा करने के लिए हितधारक के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
31.01.2024	आईबीसी के अंतर्गत प्रक्रियाओं के संबंध में मध्यस्थता के उपयोग के दायरे की जांच करने के लिए आईबीबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने संहिता के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए स्व–स्पष्ट बल्यूप्रिंट और बुनियादी ढांचे का विवरण देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
31.01.2024	आईबीबीआई ने पीजी से सीडी विनियमन (आईआईआरपी और शोधन अक्षमता प्रक्रिया) में संशोधन किया है, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ पीजी से सीडी प्रक्रिया में आरपी या बीटी के रूप में किसी आईपी की नियुक्ति पर प्रतिबंध को हटाया जा सके, यदि उसने सीडी की सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया के दौरान आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में कार्य किया है या कर रहा है।
01.02.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी कर अन्य बातों के साथ–साथ आईपीई, जो कि आईपी है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया, तथा यह भी स्पष्ट किया है कि आईपीई द्वारा आईपी के रूप में किए जाने वाले असाईनमेंट्स की कोई सीमा नहीं होगी।

तारीख	विकास
01.02.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी कर अन्य बातों के साथ–साथ यह स्पष्ट किया है कि यदि आईपी द्वारा किसी व्यावसायिक को विभिन्न सेवाओं के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए चालान उस व्यावसायिक, आईपीई या फर्म के नाम पर जारी किया जा सकता है, जिसमें वह व्यावसायिक भागीदार है।
06.02.2024	वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन – कमियां और समाधान' विषय पर अपनी 32वीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 67वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।
12.02.2024	आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया है कि जहां कहीं भी सीडी ने किसी भू–संपदा परियोजना में आवंटी को कब्जा दिया है, ऐसी परिसंपत्ति परिसमापन संपदा का हिस्सा नहीं होगी।
12.02.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी कर आरपी को सलाह दी कि वे सभी मामलों में संहिता की धारा 99 के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति देनदार और लेनदार दोनों को उपलब्ध कराएं।
13.02.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी कर अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया है कि परिसमापक यह घोषित करेगा कि कंपनी आईबीसी की धारा 227 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एफआईएसपी श्रेणी के अंतर्गत आती है या नहीं और इसके लिए उपयुक्त विनियामक से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं।
15.02.2024	आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भू–संपदा सीडी की प्रत्येक भू–संपदा परियोजना के लिए अलग–अलग योजनाओं के आमंत्रण का प्रावधान है तथा सीओसी को समाधान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए निगरानी समिति गठित करने में सक्षम बनाया गया है।
22.02.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया कि परिसमापक प्रगति रिपोर्ट एससीसी के साथ साझा करेगा तथा प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करते समय एससीसी की टिप्पणियां मांगेगा।
13.02.2024 और 22.04.2024	आईबीबीआई ने परिपत्र जारी किया है, जिसमें सीडी और कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पहले क्रमशः कारपोरेट परिसमापन खाते और कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में जमा की गई राशि की निकासी के लिए प्रपत्र निर्दिष्ट किए गए हैं।

ग बोर्ड के कार्य

3.1 संहिता की धारा 196 में बोर्ड के कार्यों का उल्लेख है, जिन्हें मोटे तौर पर तीन समूहों में बांटा जा सकता है, अर्थात्,

(क) **अर्ध–विधायी कार्य:** बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए विनियम बनाता है;

(ख) **कार्यकारी कार्य:** बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं को रजिस्ट्रीकृत और निगरानी करता है तथा शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सीपीई आदि के माध्यम से हितधारकों के व्यावसायिक विकास के लिए उपाय करता है; और

(ग) **अर्ध–न्यायिक कार्य:** बोर्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों पर निर्णय लेता है ताकि उनका व्यवस्थित कामकाज सुनिश्चित हो सके।

3.2 इनमें से प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2023–24 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों को इस धारा में सूचीबद्ध किया गया है।

अर्ध–विधायी कार्य

3.3 2023–24 में बोर्ड ने कुछ विद्यमान विनियमों में संशोधन किए, जैसा कि खंड ख़ में वर्णित है। विनियमों में इन संशोधनों का विवरण रिपोर्ट के खंड ग के प्रासंगिक उप–खंडों के अधीन प्रदान किया गया है।

सलाहकार समितियाँ

3.4 आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सलाहकार समिति) विनियम, 2017 के अनुसार निम्नलिखित तीन स्थायी सलाहकार समितियों (एसी) का गठन किया है।

i. सेवा प्रदाताओं पर एसी[1]

ii. कारपोरेट दिवाला और परिसमापन पर एसी[2]

iii. व्यक्तिगत दिवाला और शोधन अक्षमता पर एसी[3]

कार्यकारी कार्य

3.5 परिचालन विनियमन अधिसूचित विनियमों को दिन–प्रतिदिन लागू करने की प्रक्रिया है, ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विनियमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, कई गतिविधियाँ की जाती हैं, जो कार्यकारी कार्यों की प्रकृति की होती हैं।

सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण

3.6 31 मार्च, 2024 तक, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं का विवरण सारणी 6 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6: सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण

सेवा प्रदाता	संख्या	
	31 मार्च, 2024 तक	2023–24 में
रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक	4352*	116
रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक (आईपीई)	75	34
मान्यता प्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	122#	15
रजिस्ट्रीकृत आईपीए	3	शून्य
रजिस्ट्रीकृत सूचना उपयोगिता	1	शून्य
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक – व्यक्ति	5532@	250
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक – संस्थाएं	110	26
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	15	शून्य
आईपीए द्वारा जारी/नवीनीकृत असाइनमेंट के लिए कुल प्राधिकरण	2170^	2180

नोट: 1 *उन 12 मामलों को छोड़कर, जिनमें रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है और 30 मामलों को छोड़कर, जिनमें व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।
2. #उन 46 आईपीई को छोड़कर, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है।
3. @उन 4 आरवी को छोड़कर, जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।
4. ^उन 1080 एएफए को छोड़कर, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है/नवीनीकरण नहीं हुआ है।

आईआरपी को आरपी से प्रतिस्थापित करना

3.7 31 मार्च, 2024 तक कुल 5705 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि सारणी 7 में दिखाया गया है।

सारणी 7: 31 मार्च, 2024 तक आईआरपी को आरपी से प्रतिस्थापित करना

द्वारा आरंभ सीआईआरपी	सीआईआरपी की संख्या	
	जहां आरपी की नियुक्ति की गई है	जहां आरपी आईआरपी से भिन्न है
कारपोरेट आवेदक	408	153
ऑपरेशनल क्रेडिटर	2433	806
वित्तीय क्रेडिटर	2864	629
कुल	**5705**	**1588**

[1]एसी का कार्यकाल 24 सितंबर, 2020 से 11 जून, 2023 तक था
[2]एसी का कार्यकाल 26 मई 2020 से 25 मई 2023 तक था
[3]इसका गठन 15 सितंबर, 2017 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया।

आईपी का पैनल

3.8 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान आईपी के दो पैनल तैयार किए जैसा कि सारणी 8 में दर्शाया गया है।

सारणी 8: 2023–24 के दौरान तैयार किए गए आईपी पैनल

क्र. सं.	पैनल की तारीख	दिशानिदेशों के अधीन तैयार किए गए पैनल	पैनल में क्षेत्रों की संख्या	पैनल में आईपी की संख्या
1	01.07.2023	दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (सिफारिश) दिशानिदेश, 2023, 12 जून, 2023 को जारी किए गए	15	418
2	29.12.2023	दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (सिफारिश) (दूसरी) दिशानिदेश, 2023 08 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए	15	821

क्षमता निर्माण

3.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईबीबीआई ने आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लाभ के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के खंड ज.3 में प्रस्तुत किया गया है।

सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई)

3.10 आईपी विनियमों में प्रावधान है कि आईपी को अपना रजिस्ट्रीकरण वैध रखने के लिए सीपीई से गुजरना होगा। आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटों का विवरण सारणी 9 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 9: 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे

अवधि	के सदस्यों द्वारा अर्जित सीपीई घंटों की संख्या			
	आईआईआईपीं आईसीएआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईपीए आईसीएआई	कुल
2019 – 20	1160	695	320	2175
2020 – 21	18465	8746	4647	31858
2021 – 22	14123	7890	3872	25885
2022 – 23	22185	10732	3433	36350
अप्रैल – जून, 2023	1612	2726	661	4999
जुला– सित, 2023	1737	1694	848	4279
अक्तू – दिस, 2023	926	2700	1415	5041
जन – मार्च, 2024	1528	2715	791	5034
कुल	**61736**	**37898**	**15987**	**115621**
प्रति रजिस्ट्रीकृत आईपी औसत सीपीई	22.56	31.61	38.34	26.57

सीमित दिवाला परीक्षा

3.11 आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षाका पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि प्रकाशित करता है और इसे प्रासंगिक बनाए रखने तथा बाजार की गतिशीलता के अनुरूप बनाए रखने के लिए निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करता है। सीमित दिवाला परीक्षा 31 दिसंबर, 2016 को शुरू हुई।

3.12 2023–24 के दौरान कुल 571 अभ्यर्थियों ने 732 नामांकन किए। इन 571 अभ्यर्थियों में से 497 परीक्षा में शामिल हुए और कुल 627 प्रयास किए, जिनमें से 96 प्रयास (15.3 प्रतिशत प्रयास या 16.8 प्रतिशत उम्मीदवार) सफल रहे। उनमें से 13 पूर्वी क्षेत्र से, 34 उत्तरी क्षेत्र से, 28 पश्चिमी क्षेत्र से और 21 दक्षिणी क्षेत्र से हैं।

मूल्यांकन परीक्षाएँ

3.13 आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 को तीन परिसंपत्ति वर्गों (क) भूमि और भवन, (ख़) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षाएँ शुरू कीं। 2023–24 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश सारणी 10 में प्रस्तुत है।

सारणी 10: 2023–24 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश **(संख्या)**

क्र सं.	परिसंपत्ति वर्ग	रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	कुल रजिस्ट्रीकरण	प्रयास करने वाले अभ्यर्थी	कुल प्रयास	सफल प्रयास
1.	भूमि और भवन	830	1161	785	1070	127
2.	संयंत्र और मशीनरी	139	184	133	174	25
3.	प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियाँ	593	785	508	648	91

रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार

3.14 आईबीबीआई ने 2023–24 में आईपी के लिए एक आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर दिया।

आईयू के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण

3.15 31 मार्च, 2024 के अंत तक आईयू के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण सारणी 11 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 11: एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण

(संख्या, जैसा कहा गया है उसे छोड़कर)

वर्ष/माह के अंत में	एनईएसएल के साथ सहमति रखने वाले लेनदार		लेनदार जिन्होंने सूचना प्रस्तुत कर दी है		देनदार जिनकी सूचना निम्न द्वारा प्रस्तुत की गई है		द्वारा ऋण अस्मिलेख ऑन–बोर्ड किए गए		शेष ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)		प्रयोक्ता रजिस्ट्रीकरण (देनदार)	देनदारों द्वारा अधिप्रमाणित किए गए ऋण अभिलेख		देनदारों द्वारा प्रमाणित चूकों की संख्या
	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	देनदारों की संख्या	अभिलेखों की संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	
2018 – 19	173	एनए	114	169	1266445	230	1955230	316	4114988	16224	15148	13799	48,428	54
2019 – 20	267	एनए	381	543	6551739	6191	9417317	167719	7873689	31910	73332	109726	118428	240075
2020 – 21	289	एनए	621	675	8988348	9066	14565545	292206	13195075	36770	139980	283839	499957	442584
2021 – 22	347	एनए	692	779	9494394	3312	14039325	185166	14539538	42894	241753	514932	682369	299584
2022–23	415	एनए	770	1204	18391569	11529	25946358	333694	18829291	53691	678212	802698	812320	612901
2023–24	515	एनए	922	2022	25414547	15469	38507605	406943	21321068	74677	1320691	1254272	1594838	612784

शिकायतें और परिवाद

3.16 31 मार्च, 2024 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण का विवरण सारणी 12 में दिया गया है।

सारणी 12: 31 मार्च, 2024 तक शिकायतों एवं परिवादों की प्राप्ति एवं निस्तारण

(संख्या)

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमों के अधीन		सीपीजीआरएएम/पीएमओ/एमसीए/अन्य प्राधिकरण के माध्यम से		अन्य माध्यमों से		प्राप्त हुए	निपटाए गए	परीक्षाधीन
	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए	प्राप्त हुए	निपटाए गए			
2017 – 2018	18	0	6	0	22	2	46	2	44
2018 – 2019	111	51	333	290	713	380	1157	721	480
2019 – 2020	153	177	239	227	1268	989	1660	1393	747
2020 – 2021	268	260	358	378	990	1364	1616	2002	361
2021 – 2022	276	279	574	570	611	784	1461	1633	189
2022 – 2023	235	211	399	386	238	272	872	869	192
2023 – 2024	209	193	435	452	311	271	955	916	231
कुल	**1270**	**1171**	**2344**	**2303**	**4153**	**4062**	**7767**	**7536**	**231**

3.17 यह पाया गया है कि 83.38 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 प्रक्रियाओं में कुल शिकायतों का 46.08 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 53.92 प्रतिशत शिकायतें हैं।

3.18 यह देखा गया है कि 63.40 प्रतिशत आईपी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने कोई प्रक्रिया की है। शिकायतों के मामले में शीर्ष 10 आईपी में कुल शिकायतों का 42.01 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में 47.99 प्रतिशत शिकायतें हैं। यह देखा गया है कि ज्यादातर शिकायतें सीडी के प्रवर्तकों और निदेशकों से प्राप्त होती हैं, जबकि अधिकांश शिकायतें घर खरीदारों से प्राप्त होती हैं।

निरीक्षण और अन्वेषण

3.19 बोर्ड द्वारा किए गए आईपी के निरीक्षणों का विवरण सारणी 13 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–13: आईबीबीआई द्वारा आयोजित आईपी के निरीक्षण *(संख्या)*

निरीक्षण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023.24
आदेश किए गए	2	10	55	62	106	358	223
पूरे किए गए	0	3	27	53	54	337	263
जारी	2	9	37	46	98	119	79

आईबीबीआई द्वारा अभियोजन कार्रवाई

3.20 वर्ष 2023–24 में दो मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लिया। वर्ष के दौरान, विशेष न्यायालयों ने आईबीबीआई द्वारा फाइल शिकायतों के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया, जिसमें सारणी 14 में प्रस्तुत संहिता के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कई व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

सारणी 14: आईबीबीआई द्वारा की गई अभियोजन संबंधी कार्रवाई

क्र. सं.	शिकायत विवरण	विशेष न्यायालय	उल्लंघन
1	आईबीबीआई बनाम हार्दिक झांब	विशेष न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली	संहिता की धारा 235 (क) के साथ पठित धारा 70.
2	आईबीबीआई बनाम मुकेश कुमार एवं अन्य.	विशेष न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली	संहिता की धारा 235 (क) के साथ पठित धारा 68 और 70.

अर्ध–न्यायिक कार्य

3.21 आईबीबीआई और आईपीए अड़ियल सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। आईबीबीआई द्वारा 2023–24 के दौरान आरवी/ आरवईज/आरवीओज के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण क्रमशः सारणी 15 और 16 में प्रस्तुत है।

सारणी 15: आईपी के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस और उनका निस्तारण *(संख्या)*

कारण बताओ नोटिस	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
जारी किए गए	4	9	14	50	23	86	68
निपटाए गए	Nil	11	7	48	16	71	52*^
शेष	4	2	09	11	18	15	16

*ऐसे तीन आदेश हैं, जिनमें एक ही आईपी के दो एससीएन का एक ही आदेश द्वारा निपटारा किया गया।
^एससीएन को नए सिरे से सुनवाई और निपटान के लिए वापस भेजे जाने के बाद दो आदेश पारित किए गए।

सारणी 16: आरवी/आरवीई/आरवीओ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और निस्तारण

कारण बताओ नोटिस	2022–23	2023–24
जारी किए गए	16	1
निस्तारित किए गए	10	9
शेष	6	0
मूल्यांकन नियमावली 17(9) के अधीन निस्तारित अपीलें	0	4

3.22 डीसी ने आईपी से संबंधित 52 अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की और 2023–24 के दौरान आदेश जारी किए।

3.23 प्राधिकरण ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 17 के अधीन 13 कारण बताओ नोटिसों का निपटारा किया और 2023–24 के दौरान आदेश जारी किए।

घ बोर्ड का कार्य–निष्पादन

4.1 संहिता की धारा 196 में आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों का विवरण है। यह एक अनूठा नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय के साथ–साथ दिवाला प्रक्रियाओं सहित सेवा प्रदाताओं को विनियमित करता है। इस पर संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आईपी, आईपीए, आईयू और अन्य संस्थानों के कामकाज और प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने का उत्तरदायित्व है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन का संचालन और प्रचार करता है। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन में धारा 196 में वर्णित कार्यों को पूरा करने के लिए अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विहित है। यह देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी कार्य करता है। यह प्राधिकरण के रूप में, आरवी और आरवीओ को रजिस्ट्रीकृत और नियंत्रित करता है।

4.2 वर्ष 2021 में, आईबीबीआई ने, संहिता से भिन्न, नियामक के रूप में अपने निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अद्वितीय पहल की। तदनुसार, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा आईबीबीआई के प्रदर्शन के तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया और इसने *'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियामक प्रदर्शन का मूल्यांकन'* शीर्षक से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.3 बोर्ड के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट में निर्धारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क, परिणाम–आधारित फ्रेमवर्क और संकेतों के आधार पर, वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा पूरी की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(क) सेवा प्रदाताओं का प्रतिस्पर्धी बाजार: बोर्ड बाजार व्यावसायिकों के उच्च गुणवत्ता वाले पूल को बनाए रखने का प्रयास जारी रखता है। इस संबंध में बोर्ड ने वर्ष के दौरान 116 व्यक्तियों को आईपी, 34 आईपीई को आईपी, 15 आईपीई, 250 आरवी और 26 आरवीई को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया। सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए बोर्ड ने वर्ष के दौरान 45 कार्यक्रम आयोजित किये। बाजार की गतिशीलता के संबंध में इसे प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बोर्ड लगातार परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षाओं की समीक्षा करता है। तदनुसार, परीक्षाओं की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं के लिए दो लगातार प्रयासों के बीच की समयावधि को 2 महीने से घटाकर 21 दिन करने का निर्णय लिया। इस समायोजन ने अभ्यर्थियों को अधिक लचीलापन और सुधार के अवसर प्रदान किए, जिससे एक अधिक गतिशील और उत्तरदायी परीक्षा प्रणाली स्थापित हुई। संहिता के अधीन अपनी विस्तारित भूमिका निभाने के लिए आईपीई को सुविधा प्रदान करने सहित सेवा प्रदाता स्थान को सुव्यवस्थित करने के लिए, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 में आईपी और आईपीए से संबंधित पांच संशोधन विनियम अधिसूचित किए।

(ख) दिवाला और शोधन अक्षमता प्रणालियों के कामकाज में सुधार: बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 में 12 संशोधन विनियमों को अधिसूचित किया, जिससे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं में सुधार हुआ और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 11 परिपत्र और 12 परिपत्र जारी किए।

(ग) अनुपालन और निगरानी के प्रति सुव्यवस्थित दृष्टिकोण: बोर्ड ने वर्ष के दौरान अपने निगरानी कार्यकलाप जारी रखे। बोर्ड ने 2023–24 में आईपी के 263 निरीक्षण पूरे किए और 68 आईपी और 7 आरवी/आरवीई/आरवीओ को एससीएन जारी किए।

(घ) प्राकृतिक न्याय पर आधारित न्यायिक कार्यवाही: डीसी ने आईपी से संबंधित 52 एससीएन का निस्तारण किया और प्राधिकरण ने प्राकृतिक न्याय और प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष के दौरान आरवीओ/आरवीई/आरवी से संबंधित 13 एससीएन का निस्तारण किया।

(ङ) सेवा प्रदाताओं के विनियमन के प्रति जवाबदेही दृष्टिकोण: बोर्ड आईबीबीआई (विनियम जारी करने के लिए तंत्र), 2018 में विस्तृत नियमों को जारी करने के लिए व्यापक परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है। बोर्ड ने विभिन्न विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 2023–24 के दौरान आठ चर्चा पत्र जारी किए। इसके अलावा, बोर्ड के पास वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और समर्पित ईमेल (feedback@ibbi .gov.in) के माध्यम से पूरे वर्ष विद्यमान नियमों पर सुझाव प्राप्त करने की स्थायी व्यवस्था है। बोर्ड वार्षिक आधार पर संहिता के अधीन अधिसूचित विनियमों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करता है। बोर्ड ने 4 मई, 2023 को टिप्पणियां आमंत्रित की।

(च) पारदर्शी और जवाबदेह नियामक प्रथाएं: बोर्ड ने ऐसी प्रथाओं को शामिल किया है जो इसे पारदर्शी और जवाबदेह नियामक बनाती हैं। आईबीबीआई के जीबी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपना स्व–मूल्यांकन किया, जिसके परिणाम इस रिपोर्ट के खंड ड में प्रस्तुत किए गए हैं। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपनी कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार की, जिसे समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मॉनिटर किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड की अर्ध–वार्षिक आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों पर विचार करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईबीबीआई की ऑडिट समिति की दो बार बैठक हुई और सी एंड एजी ने बोर्ड की वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लेखापरीक्षा की और 2022–23 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी। जीबी ने 2023–24 में चार बैठकें अर्थात प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की। वर्ष के दौरान आयोजित प्रत्येक बैठक के लिए गवर्निंग बोर्ड के एजेंडे और उस पर लिए गए निर्णय का खुलासा बोर्ड की वेबसाइट पर किया गया। इसके अलावा, बोर्ड सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण, वापसी, निलंबन और रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से संबंधित समस्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

(छ) सभी हितधारकों के साथ स्पष्ट और लक्षित संचार: बोर्ड विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ता है जैसा कि इस रिपोर्ट के खंड ज.3 में बताया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के पास (शिकायत और परिवाद प्रबंधन प्रक्रिया) विनियम, 2017 में यथा–निर्धारित हितधारकों की शिकायतों और परिवादों के निवारण के लिए संरचित प्रक्रिया है। बोर्ड अपनी वेबसाइट और त्रैमासिक समाचार–पत्रों पर समर्पित पोर्टल के माध्यम से संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र पर उच्च गुणवत्ता वाले विस्तृत डाटा प्रकाशित करता है।

4.4 विनियमन बनाने में बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया नीचे बॉक्स में प्रस्तुत है:

विनियमन तैयार करने के दौरान हितधारकों से परामर्श

नियामक निकायों को, प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों का प्रयोग करते समय, विशेषज्ञता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यद्यपि संसद अधीनस्थ विधान की निगरानी करती है, फिर भी विनियमन बनाने में संरचित हितधारक जुड़ाव और पारदर्शिता नियामक प्रक्रिया की लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करती है।

विनियमों की आवधिक समीक्षा

निरंतर सुधार के लिए आईबीबीआई का समर्पण प्रत्येक विनियमन की हर तीन वर्ष में या यदि आवश्यक हो तो पहले भी, समीक्षा करने की इसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। ये समीक्षाएं उद्देश्यों की प्राप्ति, कार्यान्वयन अनुभव, प्रवर्तन चुनौतियों और बदलती बाजार स्थितियों पर विचार करती हैं। यह नियमित समीक्षा प्रक्रिया, चल रहे हितधारक फीडबैक के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि नियामक ढांचा प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे।

विनियमन बनाने की प्रणाली

आईबीबीआई ने नियामक हस्तक्षेप करने में कठोर पद्धति का बीड़ा उठाया है और इसके लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। 2018 में, आईबीबीआई ने विनियमन–निर्माण में सार्वजनिक भागीदारी के लिए औपचारिक रूपरेखा जारी की, जिसे आईबीबीआई (विनियम जारी करने के लिए तंत्र) विनियम, 2018 में संहिताबद्ध किया गया। ये विनियम सुनिश्चित करते हैं कि विनियामक निर्णय अलग–थलग विकसित होने के बजाय हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद से सामने आए।

विनियम जारी करने के लिए इस तंत्र के तीन मूल पहलू हैं:

- मौजूदा विनियमों में संशोधन सहित प्रत्येक विनियमन (तत्काल विनियमों को छोड़कर) बनाने से पहले सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया जाएगा। विनियम, 2018 में वह जानकारी निर्दिष्ट की गई है जो परामर्श से पहले और विनियमन जारी करने के समय प्रकाशित की जाएगी।
- आईबीबीआई प्रत्येक प्रस्तावित विनियमन का आर्थिक विश्लेषण करेगा और उसे प्रकाशित करेगा।
- हर तीन वर्ष में प्रभावी विनियमों की समीक्षा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए की जाएगी कि उन्हें निरस्त या संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। यह समीक्षा विषय पर उनके उद्देश्यों, परिणामों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में आयोजित की जाएगी।

व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया

सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया आईबीबीआई के विनियामक मध्यवर्तन की नींव बनाती है। बोर्ड अपनी वेबसाइट पर प्रस्तावित विनियामक मध्यवर्तन सहित **चर्चा लेखों** को सार्वजनिक अभ्युक्तियों के लिए जारी करता है, जिसमें न्यूनतम 21 दिनों की परामर्श अवधि होती है।

बोर्ड द्वारा जारी किए गए चर्चा लेखों में कई प्रमुख घटक शामिल हैं। इनमें प्रस्तावित विनियमों का मसौदा और संहिता का विशिष्ट उपबंध शामिल है जिसके अधीन बोर्ड इन विनियमों का प्रस्ताव करता है। इन लेखों में उस समस्या का विवरण भी होता है जिन्हें प्रस्तावित विनियमन संबोधित करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रस्तावित विनियमों के कार्यान्वयन के तरीके के साथ–साथ सार्वजनिक अभ्युक्तियाँ प्राप्त करने के तरीके, प्रक्रिया और समयसीमा की रूपरेखा तैयार करते हैं।

बोर्ड सार्वजनिक अभ्युक्तियों की मांग करने के अलावा, उद्योग/संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग और हितधारकों के साथ गोलमेज विचार–विमर्श के माध्यम से विचार एकत्रित करता है। सभी अभ्युक्तियाँ और सुझाव आईबीबीआई के विचारों के साथ निर्णय के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। विनियमन बनाने की प्रक्रिया शासी बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार आईबीबीआई द्वारा अंतिम अधिसूचना के साथ समाप्त होती है। नीचे दी गई तालिका बोर्ड द्वारा किए गए सार्वजनिक परामर्शों को प्रस्तुत करती है।

सार्वजनिक परामर्श	वर्ष								
	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	कुल
विमर्श लेख	7	11	9	20	5	10	6	8	76
हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन	8	44	22	22	18	12	6	5	137
अन्य कार्यक्रम	1	6	7	16	40	38	30	47	185

अभ्युक्तियों पर अभ्युक्तियाँ

आईबीबीआई, सर्वोत्तम विनियामक प्रथाओं पर चलते हुए, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ गया है। आईबीबीआई न केवल सार्वजनिक अभ्युक्तियाँ आमंत्रित करता है, बल्कि अपनी वेबसाइट पर जनता से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों के साथ–साथ प्राप्त टिप्पणियों पर बोर्ड की अपनी टिप्पणियों का भी खुलासा करता है। आईबीबीआई यह सुनिश्चित करने के साथ–साथ कि विनियमन पर अच्छी तरह से विचार–विमर्श किए गए हैं, व्यापक परामर्श किया गया है, यह व्यावहारिक है, और दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के उद्देश्यों को आगे बढाने के उद्देश्य से हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप है, जवाबदेही के साथ–साथ प्राधिकरण को प्रभावी ढंग से संतुलित करने का प्रयास भी करता है।

बाह्य प्रदर्शन मूल्यांकन

आईबीबीआई ने निरंतर सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) को अपने प्रदर्शन का बाह्य मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा। यह दर्शाता है कि नियामक आत्मविश्वास और आत्म–आलोचनात्मक होने की इच्छुक है। मूल्यांकन कार्य में 97 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके आईबीबीआई की नियामक गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि "इस मूल्यांकन के परिणाम से इस बात की पुष्टि होती है कि आईबीबीआई एक प्रासंगिक, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाला भारतीय नियामक है।"

आईपीए के माध्यम से हितधारक इनपुट

नियामक परामर्श प्रक्रिया उन आईपीए के इनपुट से और भी समृद्ध होती है, जो हितधारक परामर्श आयोजित करते हैं और विशेष अध्ययन समूहों का गठन करते हैं। उदाहरण के लिए, तीन आईपीए में से एक, आईआईआईपीआई ने अपने अध्ययन समूह के माध्यम से 'आईपी द्वारा अनुपालन रिपोर्टिंग में दोहराव/अतिरेक को दूर करने' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

शासी बोर्ड के निर्णयों का प्रकटीकरण

विनियमन–निर्माण से लेकर आईबीबीआई के समग्र शासन तक पारदर्शिता परिलक्षित होती है। बोर्ड नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर शासी बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची और निर्णयों को प्रकाशित करता है। यह प्रकटीकरण हितधारकों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि बोर्ड हितधारकों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ के लिए प्रत्येक नियामक मध्यवर्तन पर कैसे विचार करता है।

सूचना सुलभता

आईबीबीआई की वेबसाइट वन–स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है जो हितधारकों को दिवाला व्यवस्था से संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करती है, जिसमें रिपोर्ट, विमर्श

लेख, विधिक ढांचा, प्रकाशन, नियामक अपडेट और न्यायालय के आदेश शामिल हैं, जो पारदर्शिता और सुगम्यता सुनिश्चित करते हैं।

उत्तरदायी नियामक विकास

आईबीसी, क्षेत्र–विशिष्ट बारीकियों और तेजी से विकसित हो रहे न्यायशास्त्र के साथ अपेक्षाकृत एक नया कानून है, इसमें अन्य स्थापित कानूनों की तुलना में उभरते बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप सतत रूप से नियामक परिशोधन की आवश्यकता है। आईबीबीआई का नियामक ढांचा संशोधनों को नीचे से ऊपर उठाने की सोच के साथ खड़ा है, जहां परिवर्तन ऊपर से नीचे लाने के निदेशों की बजाय मुख्य रूप से बाजार की प्रतिक्रिया और हितधारकों के इनपुट से संचालित होते हैं।

ङ शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन

5.1 आईबीबीआई का शासी बोर्ड (जीबी) इसे कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और प्रबंधन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2017 (बोर्ड विनियम) के साथ पठित संहिता, जीबी के व्यवसाय और उक्त व्यवसाय के लेन–देन के तरीके को निर्दिष्ट करती है।

5.2 आईबीबीआई के अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक उत्तरदायित्व हैं। अर्ध–विधायी कार्य जीबी के अनन्य कार्यक्षेत्र हैं। अर्ध–न्यायिक कार्य डीसी के अनन्य कार्यक्षेत्र हैं जिनमें डब्ल्यूटीएम शामिल हैं। कार्यकारी कार्यों को आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। बोर्ड विनियम बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर निर्दिष्ट करते हैं। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीबी इस तरीके से आचरण करे जो अपने जनादेश को पूरा करने की अपनी क्षमता से समझौता न करे या अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सदस्य (सदस्यों) की क्षमता में जनता के विश्वास को कम न करे।

शासी बोर्ड की बैठकें

5.3 2023–24 के दौरान जीबी की चार बैठकें हुईं। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 17 में प्रस्तुत है।

सारणी 17: शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2023–24 में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	
		पदासीन रहने के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री रवि मित्तल	अध्यक्ष	4	3
श्री सुधाकर शुक्ल	डब्ल्यूटीएम	4	4
डॉ. जयंती प्रसाद	डब्ल्यूटीएम	4	4
श्री संदीप गर्ग	डब्ल्यूटीएम	2	2
डॉ राजीव मणि	पदेन सदस्य	4	4
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	4	4
सुश्री अनिता शाह अकेला	पदेन सदस्य	4	3
सुश्री ऋतू जैन	पदेन सदस्य	4	2
श्री बी श्रीराम	अंशकालिक सदस्य	2	2
श्री दीनबंधु महापात्र	अंशकालिक सदस्य	शून्य	–
श्री एम. पी. राम मोहन	अंशकालिक सदस्य	शून्य	–

निष्पादन का आकलन

5.4 आईबीबीआई के जीबी ने समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम के रूप में, स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की। प्रश्नावली के बारे में सदस्यों के जवाबों के आधार पर, सारणी 18 में 2023–24 में जीबी के निष्पादन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर, जीबी ने स्वयं को निष्पादन मूल्यांकन के तीन आयामों में अच्छा निष्पादन करने के लिए मूल्यांकित किया है, साथ ही उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी उजागर किया है जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 18: 2023–24 में शासी बोर्ड का निष्पादन

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड की संरचना और गुणवत्ता	बोर्ड के सदस्यों का ज्ञान, अनुभव और कौशल बोर्ड के कार्यों और कर्तव्यों के पूरक हैं।	100	उत्कृष्ट
	हमारा संगठन कार्यनीतिक योजना या मापने योग्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ कार्य करता है।	95	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सभी सदस्यों को संगठन की दृष्टि, मिशन, इसकी कार्यनीतिक दिशा और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों की स्पष्ट समझ है।	95	उत्कृष्ट

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
	बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारकों के साथ संगठन के संबंधों की पहचान की है और उनकी समीक्षा की है और उनके साथ समुचित स्तर का संचार कायम है।	88	उत्कृष्ट
	बोर्ड की संरचनाएं (जैसे लेखापरीक्षा समिति) और प्रक्रियाएं (उदाहरण के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट; कार्यनीतिक कार्य योजना) बोर्ड के निष्पादन की प्रभावी निगरानी का समर्थन करती हैं।	98	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकें स्वस्थ और संभावित चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता सहित चर्चा को प्रोत्साहित करती हैं।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपना अधिकांश समय दीर्घकालिक कार्यनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर लगाता है।	85	उत्कृष्ट
	बोर्ड प्रभावी ढंग से शासी बोर्ड की बैठकों में शीर्ष प्रबंधन के माध्यम से अपनी कार्यनीतिक दिशा और मूल्यों का सम्प्रेषण करता है।	93	उत्कृष्ट
	बोर्ड आचरण के मानकों को पूरा कर रहा है और हितों के विवाद घोषितकर रहा है।	100	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	93	उत्कृष्ट
आयाम	**मापदंड**	**% प्राप्तांक**	**रेटिंग**
बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएं	बोर्ड पर्याप्त नियमितता के साथ बैठकें करता है और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के अपने कर्तव्यों को ठीक से संपन्न करने के लिए पर्याप्त है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठक की कार्यसूची और संबंधित पृष्ठभूमि के कागजात संक्षिप्त हैं और ये मामले पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता और विवरण की जानकारी प्रदान करते हैं।	98	उत्कृष्ट
	सभी जानकारी सदस्यों को बैठक के संबंध में समय पर भेजी जाती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों का ठीक से पालन किया जाता है और बाद की बोर्ड बैठकों में इनकी समीक्षा की जाती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण और समयबद्ध तरीके से अनुमोदित होते हैं।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी की पर्याप्त है।	100	उत्कृष्ट
	सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा पर लगाया गया समय पर्याप्त है।	90	उत्कृष्ट
	यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं विद्यमानहैं कि बोर्ड को बैठकों के मध्य सभी भौतिक मामलों (समुचितबाह्य जानकारी, जैसे, विशेष नियामक परिवर्तन सहित) के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाए।	100	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	**98**	**उत्कृष्ट**
आयाम	**मापदंड**	**% प्राप्तांक**	**रेटिंग**
बोर्ड के कार्य और विकासक्रम	बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि उसे नियमित और समझने योग्य वित्तीय रिपोर्टें/विवरण प्राप्त हों।	100	उत्कृष्ट
	संगठन की स्वतंत्र लेखा–परीक्षा की प्रक्रिया की प्रामाणिकताको बनाए रखा जाता है।	95	उत्कृष्ट
	बोर्ड के पास शीर्ष प्रबंधन और अन्य लोगों के साथ सम्प्रेषण के खुले चैनल हैं और उन्हें ठीक से जानकारी दी जाती है।	93	उत्कृष्ट

	बोर्ड अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए प्रभावी निर्णय लेने और उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और सहयोगात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी महसूस करते हैं।	95	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य आईबीबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों अर्थात संहिता के उद्देश्यों को आगे बढाने में सेवा प्रदाताओं के विनियमन, संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।	98	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	**95**	**उत्कृष्ट**

आगामी मार्ग

5.5 उभरती चुनौतियों का तेजी से और कुशलता से समाधान किए जाने के साथ संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था का विकास जारी है। संहिता का भावी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। दिवाला फ्रेमवर्क के शेष तत्वों, अर्थात सीमा पार दिवाला; उद्यम समूह दिवाला; व्यैक्तिक दिवाला और शोधन अक्षमता आदि से संबंधित संहिता के भाग III के शेष तत्वों को स्थापित करना, और एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ करना, कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं जिन्हें अभी तक संहिता की विकासवादी यात्रा में हासिल किया जाना है। इससे आगे बढ़ते हुए, सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और तीव्र करने के उपाय और लेनदारों के नेतृत्व वाली समाधान प्रक्रिया और मध्यस्थता संबंधी आईबीबीआई की विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर नीतिगत चर्चा बोर्ड की नीतिगत कार्यसूची में शामिल होंगी।

च नीतियां, कार्यक्रम और कार्यकलाप

च.1 सेवा प्रदाता

6.1 संहिता के अधीन सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास सारणी 19 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 19: सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकासक्रम

तारीख	व्यष्टियाँ
	क. दिवाला व्यावसायिक / दिवाला व्यावसायिक एंटिटीज
आईपी विनियमों में संशोधन	
20.07.2023	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमों ने 'स्नातक दिवाला कार्यक्रम' का नाम बदलकर 'स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम' कर दिया है। आईपी विनियम के विनियम 5 के अधीन अर्हता और अनुभव मानदंड में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
18.09.2023	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमः– (क) नामांकन और रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया दोनों के लिए सामान्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत नामांकन और रजिस्ट्रीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया; (ख) बोर्ड द्वारा आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से प्रथम दृष्टया इनकार करने या (रजिस्ट्रीकरण के लिए) एकीकृत आवेदन की स्वीकृति के लिए समयसीमा कम कर दी; (ग) व्यावसायिक सदस्यता के आत्मसमर्पण, व्यावसायिक सदस्य के निष्कासन, किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी कंपनी, सीमित देयता भागीदारी या रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म, जो आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, के समापन या विघटन के लिए बोर्ड द्वारा इसके प्रसंस्करण के लिए आवेदन की स्वीकृति के मामले में आईपीए द्वारा बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने की परिणामी विशेष प्रक्रिया शुरू की।
31.01.2024	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधनः– (क) आईपी को सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और पीजी से सीडी के दिवाला समाधान प्रक्रिया में असाइनमेंट से त्यागपत्र देने की अनुमति देने का प्रावधान प्रस्तुत किया, जो कि प्रक्रियाओं में संबंधित समितियों या देनदार या लेनदार, जैसा भी मामला हो, की अनुशंसा के अध्यधीन हो और इस पर एए का अनुमोदन प्राप्त हो। हालांकि, आईपी एए द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति मिलने तक अपने कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जारी रखेगा; (ख) आईपीई को आईपी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए स्पष्टीकरण समाविष्ट किया गया, देनदार के मूल्यांकन और लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य के अलावा अपने किसी भी असाइनमेंट से संबंधित किसी भी काम के लिए या उसके संबंध में अपने भागीदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, को नियुक्त करने की अनुमति और (ग) आईपी के रूप में कार्य करने वाले आईपीई को मूल्यांकन और लेखा परीक्षा से संबंधित सेवा के अलावा, किसी भी सेवा को प्रदान करने की अनुमति देने के लिए स्पष्टीकरण अंतःनिष्ठ किया गया, जो उसके किसी भी भागीदार या निदेशकों द्वारा किए जा रहे असाइनमेंट के संबंध में हो सकता है।
आईपी के पैनल के लिए दिशानिदेश	
12.06.2023	आईबीबीआई ने 1 जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटी की नियुक्ति के लिए दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिदेश, 2023' नाम से दिशानिदेश जारी किए।
08.12.2023	आईबीबीआई ने 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटी की नियुक्ति के लिए दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिदेश, 2023' नाम से दिशानिदेश जारी किए।

तारीख	विकासक्रम
	ख. दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
आदर्श उप–विधि विनियमों में संशोधन	
18.09.2023	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमों में निम्नलिखित बातें अंतः्स्थापित की गईं: (क) आईपीए द्वारा एकीकृत आवेदन (नामांकन के लिए) के अनुमोदन के लिए 60 दिनों की समयसीमा और बोर्ड को इसे (रजिस्ट्रीकरण के लिए) अग्रेषित करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा; और (ख) व्यावसायिक सदस्यता के समर्पण या व्यावसायिक सदस्य को निष्कासित करने के लिए आवेदन स्वीकार करते समय आईपीए के लिए विचार करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं।
31.01.2024	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपनियम और दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधन ने आईपी के असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण (एएफए) की वैधता को विद्यमान एक वर्ष की अवधि से शिथिल कर दिया और इसे एए द्वारा नियुक्ति के लिए तैयार आईपी के पैनल की अवधि के साथ संरेखित किया।

परिपत्र

6.2 बोर्ड समय–समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी के लिए परिपत्र जारी करता है ताकि इसके निगरानी कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके, संहिता और विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके या विनियमों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया या समझाया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 20 में सूचीबद्ध हैं।

सारणी 20: बोर्ड द्वार्रा 2023–24 पत्र गए में जारी

तारीख	व्यष्टियाँ
16.06.2023	आईबीबीआई ने संहिता की धारा 7 और 9 के अधीन आवेदन फ़ाइल करने वाले लेनदारों को सामान्य मार्गदर्शन के तौर पर सलाह दी है कि वे अपने आवेदन के साथ–साथ क्षेत्राधिकार वाले एनसीएलटी में फ़ाइल किए जाने वाले आईयू द्वारा जारी किए गए आरओडी रिकॉर्ड को भी संलग्न करें। यह परिपत्र संयुक्त रजिस्ट्रार, एनसीएलटी द्वारा 3 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए आदेश के अनुरूप है, जिसमें सभी हितधारकों को आईयू विनियमों में विनियमन 20 (आईए) को शामिल करने और उक्त उपबंध के अनुपालन के बारे में सूचित किया गया है। तदनुसार, संहिता की धारा 7 और 9 के अधीन आवेदन फ़ाइल करने वाले याचिकाकर्ताओं को अपने मामलों की प्रभावी सुनवाई के लिए जल्द से जल्द उक्त विनियमों का अनुपालन करना और आरओडी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
01.09.2023	आईबीबीआई ने आईपी के रूप में कार्य करने वाले आईपीई को आईबीबीआई की वेबसाइट पर सीआईआरपी प्ररूप जमा करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। ऑनलाइन सुविधा आईपीई को आईबीबीआई द्वारा प्रदान किए गए एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की मदद से उक्त प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने और सीआईआरपी प्ररूप अपलोड/जमा करने की प्रक्रिया को संभालने वाले आईपी को अधिकृत करने में सक्षम बनाती है। इसके बाद, अधिकृत आईपी व्यक्तिगत आईपी की क्षमता में उसे प्रदान किए गए अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी और रिकॉर्ड के साथ सीआईआरपी प्ररूप जमा करने में सक्षम होगा।
28.09.2023	आईबीबीआई ने परिसमापन विनियमन के विनियमन 4(2)(ख़) के अधीन परिसमापक के शुल्क की गणना को स्पष्ट किया। परिपत्र में 'प्राप्त राशि', 'अन्य परिसमापन लागत', 'हितधारकों को वितरित राशि' और 'प्राप्ति/वितरण की राशि' शब्दों को स्पष्ट किया गया और आईपी को सलाह दी गई कि जो वर्तमान में परिसमापन असाइनमेंट संभाल रहे हैं या अतीत में किसी परिसमापन असाइनमेंट को संभाल चुके हैं, वे परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार परिसमापन विनियम के विनियम 4(2)(ख़) के अधीन शुल्क वसूलें।
21.12.2023	आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां पीजी से सीडी की दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन एक लेनदार द्वारा फ़ाइल किया जाता है, जिसमें आरपी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आईपी के नाम की अनुशंसा की जाती है, उक्त आईपी को एए के विचार के लिए लेनदार को पीजी से सीडी नियमों के प्ररूप ग के भाग iv में विवरण और घोषणा प्रदान करना आवश्यक होगा।

तारीख	व्यष्टियाँ
18.01.2024	आईबीबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से सीमित दिवाला परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए दो लगातार प्रयासों के बीच की अवधि को 2 महीने से घटाकर 21 दिन कर दिया है। परीक्षा प्रशासकों/अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इस परिपत्र की तारीख से 3 महीने की समाप्ति के बाद आयोजित/प्रयासित सीमित दिवाला परीक्षा और मूल्यांकन परीक्षाओं में उक्त आवश्यकताओं को लागू/अनुपालन करें।
01.02.2024	आईबीबीआई ने अपने परिपत्र के जरिए आईपीई को संहिता के अधीन अपनी विस्तारित भूमिका निभाने में सुविधा प्रदान करने के लिए तीन क्षेत्रों पर स्पष्टता प्रदान कीः – (क) यदि असाइनमेंट आईपी, जो कि एक आईपीई है, द्वारा किया जाता है, (i) इसके भागीदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, जो आईपी है और संबंधित असाइनमेंट के लिए इसकी ओर से हस्ताक्षर करने और कार्य करने के लिए अधिकृत था; और / या (ii) आईपीई, यदि बोर्ड की राय में, आईपीई के एक या एक से अधिक भागीदारों या निदेशकों के विरुद्ध उल्लंघन के बार–बार उदाहरण हैं या ऐसे आईपीई की ओर से प्रणालीगत विफलता का उदाहरण है, आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियम, 2017 के नियम 11 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा; (ख़) आईपी विनियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का खंड 22 (असाइनमेंट की संख्या पर सीमा के संबंध में) आईपी पर लागू नहीं होता है, और (ग) सीआईआरपी विनियमों का विनियम 34 ख़ (शुल्क संरचना के संबंध में) आईपी, जो एक आईपीई है, पर लागू नहीं होता है।
01.02.2024	आईबीबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से प्रक्रियाओं के सुचारू और कुशल संचालन की सुविधा के लिए दो क्षेत्रों पर स्पष्टता प्रदान कीः – (क) समाधान योजना के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, यह स्पष्ट किया गया कि आईपी एए द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के संबंध में व्यावसायिक सेवा प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी सेवा का विवरण एए द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में उल्लिखित हो; और (ख़) आईपी विनियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता के खंड 25 (ग) के प्रयोजनों के लिए, बिल या चालान आईपीई या व्यावसायिक या उस फर्म के नाम से जारी किया जा सकता है जिसमें ऐसा व्यावसायिक भागीदार है।
12.02.2024	आईबीबीआई ने अपने परिपत्र के माध्यम से आरपी को सलाह दी कि वे सभी मामलों में देनदार और लेनदार दोनों को संहिता की धारा 99 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि देनदार और लेनदार को आरपी द्वारा किए गए मूल्यांकन और सिफारिशों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, जिससे पारदर्शिता और सूचित निर्णय को बढ़ावा मिलेगा।
13.02.2024	आईबीबीआई ने 13 फरवरी, 2024 को जारी अपने परिपत्र में कहा कि परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कारपोरेट व्यक्ति एफआईएसपी की श्रेणी में आता है, तो वह यह घोषित करेगा किः (क) एफआईएसपी की श्रेणी को केंद्र सरकार द्वारा संहिता की धारा 227 के अधीन अधिसूचित किया गया है, और (ख़) कारपोरेट व्यक्ति ने उपयुक्त नियामक से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। परिपत्र में आगे कहा गया है कि परिसमापक को एए के समक्ष फ़ाइल किए गए प्ररूप एच में अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति और बोर्ड को दिए गए ईमेल आईडी पर विघटन का आदेश प्रस्तुत करना होगा।
22.02.2024	आईबीबीआई ने 22 फरवरी, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से परिसमापक के लिए प्रावधान किया किः (क) गोपनीय वचनबद्धता प्राप्त करने के बाद एससीसी के सदस्यों के साथ प्रगति रिपोर्ट साझा किया जाए; (ख) प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करते समय एससीसी के सदस्यों के सुझाव/टिप्पणियां मांगें और ऐसे सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के बाद उक्त रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाए; और (ग) एए के समक्ष फ़ाइल अंतिम रिपोर्ट के साथ प्ररूप ज के प्रति और प्रक्रिया बंद करने/विघटन के आदेश को दिए गए ईमेल आईडी पर बोर्ड को प्रस्तुत करें।
13.02.2024 – 22.02.2024	आईबीबीआई ने 13 फरवरी और 22 फरवरी, 2024 को परिपत्र जारी किए, जिसमें सीडी और कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पहले कारपोरेट परिसमापन खाते और कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में जमा की गई राशि की निकासी के लिए प्रपत्र निर्दिष्ट किए गए। ये प्रपत्र परिसमापक को उन हितधारकों द्वारा किए गए अनुरोध पर निकासी के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान करेंगे जो खातों में जमा की गई किसी भी राशि के हकदार होने का दावा करते हैं।

च.2: प्रक्रियाएं

6.3 संहिता में कारपोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए चार प्रक्रियाओं, अर्थात् सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और भाग ii के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाका प्रावधान है। ये प्रक्रियाएँ 2016 और 2017 में लागू हुई हैं। इसमें व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता (पीजी) से लेकर सीडी तक की दिवाला समाधान प्रक्रिया और दिवालियापन प्रक्रिया का भी प्रावधान है जो 2019 में लागू हुई। यह उप–धारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया में विनियामक विकास को सूचीबद्ध करती है।

सारणी 21: 2023–24 के दौरान प्रक्रियाओं से संबंधित विनियामक विकास

तारीख	व्यष्टियाँ
सीआईआरपी विनियमों में संशोधन	
20.07.2023	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमों ने स्पष्ट किया कि सीआईआरपी विनियमों के विनियम 31क(I) के अधीन नियामक शुल्क उन मामलों में देय नहीं होगा जहां किसी भू–संपदा परियोजना के दिवाला समाधान के संबंध में अनुमोदित समाधान योजना ऐसी भू–संपदा परियोजना में किसी एसोसिएशन या आवंटियों के समूह की ओर से है।
18.09.2023	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। संशोधित विनियमः– (क) संहिता की धारा 7 या धारा 9 के अधीन आवेदनों के संबंध में साक्ष्य के साथ ऋण, चूक और सीमा का विवरण फ़ाइल करने का प्रावधान किया गया; (ख) आईआरपी/आरपी द्वारा सीडी की संपत्तियों की हिरासत और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान अन्तःस्थापित किए गए; (ग) सार्वजनिक घोषणा में दी गई अंतिम तारीख के बाद लेनदारों द्वारा दावे फ़ाइल करने की निर्दिष्ट समयसीमा; (घ) आईआरपी/आरपी द्वारा दावों को देर से फ़ाइल करने के सत्यापन के तरीके के लिए प्रावधान किया गया; (ङ) एक वर्ग में लेनदारों के एआर के प्रतिस्थापन के लिए उपबंध प्रस्तुत किए गए; (च) एक वर्ग में लेनदारों के एआर की निर्दिष्ट फीस और कर्तव्य; (ज) सीओसी के प्रस्ताव पर सीडी की लेखापरीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया; (झ) विनियमन 36ए के उप–विनियमन (12) के अंतर्गत अंतिम सूची में प्रत्येक आरए को आईएम, मूल्यांकन मैट्रिक्स और आरएफआरपी जारी करने का प्रावधान किया गया; और मॉडल समयसीमा में परिणामी परिवर्तन किए गए; (ञ) प्ररूप सीआईआरपी 7 फ़ाइल करने के लिए कार्यकलापों की समयसीमा को संशोधित किया गया; और (ट) प्ररूप छ और प्ररूप ज के प्रारूप को संशोधित किया गया।
15.02.2024	आईबीबीआईने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधन ने सीआईआरपी को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। मुख्य संशोधनों में सीडीकी प्रत्येक भू–संपदा परियोजना के लिए अलग–अलग बैंक खातों की आवश्यकता और मासिक सीओसी बैठकों के लिए अनिवार्यता शामिल है, यदि आवश्यक हो तो इस अंतराल को प्रति तिमाही एक बार बढ़ाने का विकल्प है। विनियम मतदान प्रक्रियाओं को भी परिष्कृत करते हैं, जिससे सीओसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विंडो की अवधि निर्धारित करने और विस्तार तंत्र प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, संशोधन आरपीको सभी सीआईआरपी –संबंधित लागतों के लिए सीओसी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बनाता है, जिसमें व्यवसाय को चालू रखने से जुड़ी लागतें भी शामिल हैं। संशोधन, गणना से पहले मूल्यांकन पद्धतियों के प्रकटीकरण और सूचना ज्ञापन में उचित मूल्य की आवश्यकता के द्वारा पारदर्शिता बढ़ाता है यदि सीओसी इस पर निर्णय लेता है। भू–संपदा मामलों में, सीओसी आरपी को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग समाधान योजनाओं की मांग करने का निदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, सीओसी समाधान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए निगरानी समिति स्थापित कर सकता है, जिसमें आरपी, अन्य दिवाला व्यावसायिक या अतिरिक्त सदस्य शामिल होंगे, जिसमें आरपी के मुआवजे के बारे में प्रावधान होंगे। अंत में, संशोधन आरपी को एए द्वारा विस्तार आवेदन पर निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए समाधान प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देता है।
परिसमापन प्रक्रिया विनियम में संशोधन	
12.02.2024	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधन ने परिसमापन के लिए एक सुचारू प्रक्रिया की सुविधा, जवाबदेही सुनिश्चित करने और परिसमापन

तारीख	व्यष्टियाँ
	प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ बदलाव किए: – (क) परिसमापक प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय एससीसी की स्वीकृति के साथ एक अवसर पर सीआईआरपी के विद्यमान मूल्यांकन वाली संपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य को 25% तक कम कर सकता है। उन संपत्तियों के लिए जहां परिसमापन के दौरान नए मूल्यांकन किए जाते हैं, एससीसी की स्वीकृति के साथ बाद की नीलामी में आरक्षित मूल्य 10% तक कम किया जा सकता है; (ख़) परिसमापक एससीसी के साथ पूर्व परामर्श पर ही निजी बिक्री के माध्यम से सीडी की संपत्तियों को बेच सकता है, और सफल खरीदार की पुष्टि ऐसे परामर्श के बाद ही की जाएगी। (ग) समय पर निर्णय और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, परिसमापक को अधिकतम 30 दिनों के अंतराल पर एससीसी की बैठकें आयोजित करने का अधिकार है। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो एससीसी बैठकों की आवृत्ति कम कर सकता है, बशर्ते कि प्रति तिमाही कम से कम एक बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों के दौरान निर्णय वर्तमान और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर लिए जाने हैं; (घ) प्रत्येक एससीसी बैठक में, परिसमापक को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ परिसमापन प्रक्रिया में हुई प्रगति, सभी कानूनी कार्यवाही की समेकित स्थिति और प्रक्रिया के दौरान होने वाली संचयी लागत शामिल होती है। प्रारंभिक अनुमानों से परे किसी भी लागत वृद्धि को युक्तिसंगत बनाने की योजना के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए; (ङ) नए परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए, परिसमापक को बैठकों की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जहाँ आरवी अपनी कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हैं और मूल्यांकन प्राप्त करने पर, सीआईआरपी मूल्यांकन से महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हो, के कारणों को बताते हैं। इसके अलावा, परिसमापक गोपनीयता वचन प्राप्त करने के बाद एससीसी सदस्यों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करेगा; (च) किसी भी कानूनी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने से पहले, परिसमापक को आर्थिक औचित्य प्रस्तुत करते हुए एससीसी से परामर्श करना चाहिए; (छ) व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, परिसमापक को सीडी के मामलों को एक चालू व्यवसाय के रूप में चलाने का निर्णय लेने से पहले एससीसी से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा, चालू व्यवसाय के रूप में सीडी की बिक्री पहली नीलामी के बाद विशेष रूप से नीलामी में नहीं की जा सकती है, और नीलामी विफल होने की स्थिति में, परिसमापक एससीसी के परामर्श से विपणन रणनीति की समीक्षा करेगा; (ज) शीघ्र विघटन के लिए आवेदन करने से पहले, परिसमापक को एए को आवेदन में विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हुए एससीसी के विचार और सिफारिशें लेनी चाहिए; (झ) प्रक्रिया के दौरान की गई वसूली और वितरण के बारे में अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने के लिए, प्ररूप ज के अधीन अनुपालन प्रमाणपत्र को संशोधित किया गया है; (ञ) अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की अवधि के दौरान लेकिन सीडी के भंग होने से पहले, कारपोरेट परिसमापन खाते में जमा की गई किसी भी राशि के लिए पात्रता का दावा करने वाले हितधारक निकासी के लिए परिसमापक को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, परिसमापक दावे को सत्यापित करेगा और बोर्ड से आगे वितरण के लिए उसे धनराशि जारी करने का अनुरोध करेगा; (ट) परिसमापक केवल उन मामलों में समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव फ़ाइल करेगा, जहां सीओसी ने सीआईआरपी के दौरान ऐसी अनुशंसा की थी और ऐसा प्रस्ताव परिसमापन प्रारंभ तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद फ़ाइल नहीं किया जाएगा; (ठ) परिसमापक एससीसी के परामर्श के बाद शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान की अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ा सकता है; (ड) जहां कहीं भी सीडी ने किसी भू–संपदा परियोजना में आवंटी को कब्जा दिया है, ऐसी परिसंपत्ति सीडी की परिसमापन संपदा का हिस्सा नहीं होगी; और (ढ) हितधारकों के साथ परामर्श की रिपोर्टिंग के लिए प्ररूप क को बैठकों के विवरण जैसे दो बैठकों के बीच अंतराल, एससीसी द्वारा असहमति आदि को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियम में संशोधन	
31.01.2024	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधन में निम्नलिखित संशोधन किए गए:– (क) स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करते समय कारपोरेट व्यक्ति के निदेशक वैधानिक अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या आकलनों और लंबित मुकदमों के बारे में प्रकटीकरण करेंगे और यह भी घोषित करेंगे कि लंबित कार्यवाही के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्वों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है; (ख) यदि परिसमापक 90 दिनों या 270 दिनों, जैसा भी मामला हो, की निर्धारित अवधि के भीतर कारपोरेट व्यक्ति का परिसमापन करने में विफल रहता है, तो वह कारपोरेट व्यक्ति के अंशदाताओं की बैठक आयोजित करेगा और ऐसी अवधि के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक ऐसी अवधि के अंत में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरा नहीं करने के कारणों

तारीख	व्यष्टियाँ
	को निर्दिष्ट किया जाएगा और (ग) अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की अवधि में लेकिन कारपोरेट व्यक्ति के भंग होने से पहले, कारपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते में निधियों के अधिकार का दावा करने वाले हितधारक निकासी के लिए परिसमापक को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, परिसमापक दावे की पुष्टि करेगा और बोर्ड से अनुरोध करेगा कि वह आगे वितरण के लिए उसे निधि जारी करे।
सीडी का पीजी विनियम में संशोधन	
31.01.2024	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। संशोधन ने किसी आईपी को क्रमशः पीजी से सीडी की दिवाला समाधान प्रक्रिया या दिवाला प्रक्रिया में आरपी या शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किए जाने पर प्रतिबंध हटा दिए, यदि उसने सीडी की सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया के दौरान आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में कार्य किया है या कर रहा है। इसके अलावा, पीजी मामलों में निहित जटिलताओं और अनूठी चुनौतियों को दूर करने के लिए, संशोधन ने लेनदारों की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया।

च.3 हितधारकों से जुड़ाव

6.4 आईबीबीआई अपने हितधारकों के साथ विभिन्न प्रारूपों जैसे पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, निबंध और मूट प्रतियोगिता, आईबीसी पर ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के माध्यम से जुड़ता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड द्वारा 63 पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम, एक निबंध प्रतियोगिता और तीन मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे सारणी 22, 23 और 24 में सूचीबद्ध है।

सारणी 22: 2023–24 में बोर्ड द्वारा आयोजित पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम

क्र. सं.	तारीख	विवरण	विषय	के सौजन्य से
1	13.04.2023	सीआईआई के साथ आईबीसी पर एक दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहितादृउभरते प्रतिमान और सुधार	भारतीय उद्योग परिसंघ
2	28.04.2023 – 30.04.2023	मूट प्रतियोगिता	दिवाला और शोधन अक्षमता कानून और संवैधानिक कानून के समकालीन और विकासशील पहलू	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
3	29.04.2023	समकालीन मूल्यांकन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	मूल्यांकन	आरवीओ ईएसएमए
4	02.05.2023	मूल्यांकन बूट कैंप (वर्चुअल)	मूल्यांकन	आईसीएमएआई आरवीओ
5	05.05.2023 – 07.05.2023	छठी अरुण जेटली अंतरराष्ट्रीय दिवाला और शोधन अक्षमता मूट प्रतियोगिता	दिवाला और शोधन अक्षमता क़ानून	एनएलयू दिल्ली
6	14.05.2023 (3 माह)	प्रत्याभूतिदाताओं के दिवाला पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	प्रत्याभूतियों का दिवालियापन	एनएलयू दिल्ली
7	14.05.2023 – 15.05.2023	पांचवां स्थापना दिवस को बनाए रखना	मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक हित	आईसीएआई आरवीओ

क्र. सं.	तारीख	विवरण	विषय	के सौजन्य से
8	20.05.2023	आईओवी आरवीएफ संस्थापक दिवस सम्मेलन	मूल्यांकनः अवसर प्रदान करना	आईओवी आरवीएफ
9	20.05.2023	वित्तीय स्थिरता के लिए कारपोरेट प्रशासन पर संगोष्ठी – दून बिजनेस स्कूल ग्लोबल	वित्तीय स्थिरता के लिए कारपोरेट प्रशासन	दून बिजनेस स्कूल ग्लोबल
10	26.05.2023	अमृत काल के युग में भारत के कानूनी क्षेत्र को नेविगेट करने पर शिखर सम्मेलन	अमृत काल के युग में भारत के कानूनी क्षेत्र को नेविगेट करना	फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉरपोरेट लॉयर्स
11	27.05.2023	व्यापार करने में आसानी पर संगोष्ठी – आर्थिक परिदृश्य, वित्त और कानूनी	व्यापार करने में आसानी – आर्थिक परिदृश्य, वित्त और कानूनी	बैंगलोर चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स
12	16.06.2023	नई दिल्ली में आईआईआईआईपी आईआईसीएआई सम्मेलन	आईबीसीके अधीन उभरती चुनौतियों पर काबू पाना – आईपीए और आईपीतैयार करना	आईआईआईपीआई
13	17.06.2023	एक दिवसीय राज्य स्तरीय आईबीसी सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	केरल दिवाला व्यावसायिक मंच
14	17.06.2023	सुषमा स्वराज भवन में यूएनआईडीआरओआईटीबैठक – एमईए	समूह 'बैंक दिवालियापन' और 'प्रभावी प्रवर्तन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास' पर चर्चा	विदेश मंत्रालय
15	02.07.2023	दिवाला कानून अकादमी के साथ यूएनआईडीआरओआईटी परियोजना पर बैठक	केप टाउन कन्वेंशन और बैंक दिवालियापन	यूनिड्रोइट और दिवाला विधि अकादमी
16	05.07.2023	परिसमापन विनियमों की समीक्षा पर कार्यशाला भाग (1)	परिसमापन विनियमों की समीक्षा	आईसीएसआई आईआईपी
17	07.07.2023	07 जून, 2023 को आईबीबीआई द्वारा जारी चर्चा पत्र पर विचार–विमर्श के लिए कार्यशाला	07 जून 2023 को चर्चा पत्र जारी किया जाएगा	आईआईआईपीआई
18	11.07.2023	आईबीसी के कार्यान्वयन पर कार्यशालाः बैंकरों के लिए सीख	आईबीसीका कार्यान्वयनः बैंकरों के लिए सीख	सीएएफआरएल
19	12.07.2023	परिसमापन विनियमन (भाग II) और स्वैच्छिक परिसमापन विनियमन की समीक्षा पर कार्यशाला	परिसमापन की समीक्षा विनियम और स्वैच्छिक परिसमापन विनियम	आईसीएसआई आईआईपी
20	13.07.2023	सीआईआरपी सर्वोत्तम प्रथाओं पर आईआईआईपीके साथ वेबिनार	सीआईआरपी सर्वोत्तम अभ्यास	आईआईआईपीआई
21	13.07.2023	सहकर्मी समीक्षा पर कार्यशाला	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की सहकर्मी समीक्षा	आईसीएआईआरवीओ
22	19.07.2023	आईपी विनियमन, आईपीए विनियमन और मॉडल उपविधि विनियमन की समीक्षा पर कार्यशाला	आईपीविनियम, आईपीएविनियम और मॉडल उपविधि विनियम की समीक्षा	आईसीएसआई आईआईपी

क्र. सं.	तारीख	विवरण	विषय	के सौजन्य से
23	21.07.2023	परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन पर कार्यशाला – सर्वोत्तम अभ्यास	परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन – सर्वोत्तम अभ्यास	आईआईआईपीआई
24	26.07.2023	निरीक्षण और जीआरसी विनियमन की समीक्षा पर कार्यशाला	निरीक्षण और जीआरसी विनियम की समीक्षा	आईसीएसआई आईआईपी
25	28.07.2023	आईबीसी, 2016 के अधीन अनुशासनात्मक पहलुओं और शासन पर कार्यशाला	आईबीसी, 2016 के अंतर्गत अनुशासनात्मक पहलू और शासन	आईपीएआईसीएआई
26	02.08.2023	आईयू विनियमन की समीक्षा पर कार्यशाला	आईयू विनियमों की समीक्षा	आईसीएसआई आईआईपी
27	09.08.2023	व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता विनियमन के दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता प्रक्रिया की समीक्षा पर कार्यशाला	व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता विनियमों के दिवाला समाधान और दिवालियेपन प्रक्रिया की समीक्षा	आईसीएसआई आईआईपी
28	12.08.2023	केस स्टडी पर वेबिनार–सीआईआरपी और परिसमापन	सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया	आईआईआईपीआई
29	16.08.2023	प्रीपैक्ड दिवाला समाधान विनियमों की समीक्षा पर कार्यशाला	प्रीपैक्ड दिवाला समाधान विनियमों की समीक्षा पर	आईसीएसआई आईआईपी
30	21.08.2023	आईबीसी पर बैंक ऑफ इंडिया के विधि अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण – 21.08.2023 और 22.08.2023	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	बैंक ऑफ़ इंडिया
31	21.08.2023	आईबीसी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के विधि अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला – 21.08.2023 और 22.08.2023	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	बैंक ऑफ़ बड़ोदा
32	22.08.2023	सीआईआरपी के अधीन कॉरपोरेट देनदारों को चालू कंपनी के रूप में प्रबंधित करने पर वेबिनार (आईपी के लिए)	सीआईआरपी के अंतर्गत कारपोरेट देनदारों को चालू कंपनी के रूप में प्रबंधित करना	आईआईआईपीआई
33	25.08.2023	निगरानी/निरीक्षण एवं सहकर्मी समीक्षा के सामान्य मुद्दों पर कार्यशाला	निगरानी/निरीक्षण और सहकर्मी समीक्षा पर सामान्य मुद्दे	आईआईआईपीआई
34	02.09.2023 – 03.09.2023	आईओवी आरवीएफ के साथ कोयंबटूर में पहला आवासीय विशेष मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूल्यांकन	आईओवीआरवीएफ
35	04.09.2023	एमसीए में संलग्न सहायक सचिवों का प्रशिक्षण	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	एमसीए
36	14.09.2023	आईएमएफ अनुच्छेद प्ट मिशन टीम के साथ गोलमेज/बैठक	भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता में हाल ही में की गई प्रगति और प्रगति	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

क्र. सं.	तारीख	विवरण	विषय	के सौजन्य से
37	16.09.2023	एसोचैम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता और मूल्यांकन पर 8वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, वर्ली, मुंबई	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	एसोचैम
38	16.09.2023	अहमदाबाद में दिवाला और शोधन अक्षमता पर एक दिवसीय सम्मेलन डब्ल्यूआईआरसी, आईसीएआई और सीआईबीसी, आईसीएआई	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	सीआईबीसी, आईसीएआई
39	22.09.2023 – 23.09.2023	22–23 से पीडीएनएएसएस में आईबीसी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	पीडीएनएएसएस
40	23.09.2023	अनुशासनात्मक, शिकायत और शिकायत तंत्र पर कार्यशाला	अनुशासनात्मक, शिकायत और शिकायत तंत्र	आईआईआईपीआई
41	29.09.2023	बेहतरीन अभ्यास पर कार्यशाला – व्यावसायिक और सीओसी बैठकों की नियुक्ति	सर्वोत्तम अभ्यास – व्यावसायिक और सीओसी बैठकों की नियुक्ति	आईआईआईपीआई
42	05.10.2023 – 12.10.2023	सीआईबीसी, आईसीएआईके साथ ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का 6वां बैच	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	सीआईबीसी, आईसीएआई
43	14.10.2023 – 19.10.2023	सर्टिफिकेट कोर्स	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का कार्यान्वयन, साथ ही करियर विकल्प और कारपोरेट और वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में प्रगति का रोडमैप	एनएलयू असम और अभिनव मिश्रा चैंबर्स
44	14.10.2023	एनएलयू जोधपुर–खेतान एंड कंपनी कारपोरेट लॉ रिव्यू शिखर सम्मेलन का उद्घाटन,	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	एनएलयू जोधापुर
45	18.10.2023	मूल्यांकन दिवस कार्यक्रम	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन	आईसीएमएआई आरवीओ, आईओवी आरवीएफ और आईसीएआई आरवीओ
46	21.10.2023	आईबीसी, 2016 पर सेमिनार	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	आईपीए आईसीएआई
47	26.10.2023	मूल्यांकन पर दुबई अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए आईआईवी आरवीएफ के साथ सहयोग	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन	आईआईवी आरवीएफ
48	27.10.2023 – 29.10.2023	वी20 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन – नई दिल्ली में एएआरवीएफ	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन	एएआरवीएफ़
49	04.11.2023	आईपीएआईसीएआई के साथ आईबीसी पर सेमिनार	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	आईपीएआईसीएआई

क्र. सं.	तारीख	विवरण	विषय	के सौजन्य से
50	17.11.2023 – 18.11.2023	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आईबीसीपर राष्ट्रीय सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
51	24.11.2023 – 25.11.2023	आईओवीआरवीएफ द्वारा दूसरा वैश्विक मूल्यांकन शिखर सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	आईओवीआरवीएफ
52	13.12.2023	आईसीएआईके सहयोग से ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमका 7वां बैच	पूर्व–पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया	आईसीएआई
53	14.12.2023	आईबीसीपर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रममें सत्र	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	आईसीएआई
54	16.12.2023	एसोचैम कर्नाटक राज्य विकास परिषद आईबीसीकॉन्क्लेव 2023	तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और आईबीसीका समाधान– भविष्य का रोडमैप	एसोचैम
55	10.01.2024 – 11.01.2024	सम्मेलन	तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ	सीएएफआरएएल
56	23.02.2024	7वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन	आईबीसीके अधीन हितधारकों के अधिकारों को संतुलित करना	एसोचैम
57	23.02.2024	सम्मेलन	राष्ट्रीय दिवाला और शोधन अक्षमता कानून	आईआईआईपीआई और पीएचडीसीसीआई
58	25.02.2024	मूट कोर्ट प्रतियोगिता	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	एचआईएलएसआर जामिया हमदर्द
59	27.02.2024	गुरुग्राम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विधि अधिकारियों के सम्मेलन के लिए अतिथि व्याख्यान	अदालत के बाहर पुनर्गठन प्रक्रियाएँ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
60	04.03.2024	नियामक सत्र	समावेश को प्रेरित करें	एफसीडीओ और अन्स्ट एंड यंग
61	08.03.2024	आईआईसी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	–
62	14.03.2024 – 21.03.2024	ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का 9वां बैच	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	आईसीएआई
63	14.03.2024 – 16.03.2024	पुडुचेरी में आवासीय रिट्रीट	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन	आईपीए आईसीएआई

शैक्षणिक जुड़ाव

सारणी 23: 2023–24 में आयोजित निबंध प्रतियोगिताएँ

क्रम सं.	माह	संस्थान का नाम	विषय
1	अक्टूबर –दिसंबर 2023	एनएलयू, ओड़िशा	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन हितधारकों: व्यक्तियों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के हितों में संतुलन

सारणी 24: 2023–24 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं

क्रम. सं.	तारीख	के सौजन्य से	मूट प्रस्थापना की थीम
1	28.04.2023 – 30.04.2023	हिमाचल प्रदेश एनएलयू, शिमला	दिवाला और शोधन अक्षमता क़ानून
2	05.05.2023 – 07.05.2023	एनएलयू, दिल्ली	दिवाला और शोधन अक्षमता क़ानून
3	23.04.2024 – 25.02.2024	एचआईएलएसआर जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

आईआईसीए में 'लीजेंड्स के साथ सप्ताह'

6.5 आईआईसीए, मानेसर ने छात्र–नेतृत्व वाले कार्यक्रम 'लीजेंड्स के साथ सप्ताह' के एक भाग के रूप में आईबीबीआई के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया, जो 6 जून, 2023 को शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई के साथ–साथ आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ श्री प्रवीण कुमार और आईआईसीए के दिवाला और शोधन अक्षमता केंद्र के प्रमुख डॉ. के.एल. ढींगड़ा की उपस्थिति में किया। छात्रों और संकाय सदस्यों की उपस्थिति में आईबीबीआई के अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने छात्रों से प्रश्न आमंत्रित किए और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, आईबीसी से संबंधित व्यापक क्षेत्रों पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

आईबीसी पर चौथा राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज़

6.6 आईबीबीआई ने माईगव और बीएसई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के सहयोग से देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर तीसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज़' आयोजित किया। यह क्विज़ 1 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक उपलब्ध था। इसे देश भर से 75,820 से अधिक प्रतिभागियों के साथ उत्साहवर्धक समर्थन मिला। श्री हर्ष टोकस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे और उन्हें 1 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आईबीबीआई के वार्षिक दिवस समारोह में स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

आईपी कॉन्क्लेव

आईबीसी के अंतर्गत भू–संपदा परियोजनाओं का समाधान

6.7 आईबीबीआई द्वारा 14 जुलाई, 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत भू–संपदा परियोजनाओं का समाधान' विषय पर आईपी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। स्वागत भाषण आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम श्री सुधाकर शुक्ला ने दिया, जबकि विशेष भाषण आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने दिया। एनसीएलटी के माननीय अध्यक्ष श्री रामलिंगम सुधाकर ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संहिता के अंतर्गत भू–संपदा परियोजनाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डाला, तथा भू–संपदा परियोजनाओं की जटिल प्रकृति की विशिष्टता पर जोर दिया।

दिवाला मामला प्रबंधन प्रणाली

6.8 आईबीबीआई द्वारा 24 जुलाई, 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एनईएसएल के सहयोग से 'दिवालिया मामला प्रबंधन प्रणाली' विषय पर आईपी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान, एनईएसएल ने 'दिवालिया मामला प्रबंधन प्रणाली

(आईसीएमएस)' पर एक प्रस्तुति दी, जिसके बाद संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए उनके प्लेटफ़ॉर्म का प्रदर्शन किया गया। एनईएसएल ने बताया कि उसने एक अनूठा प्रौद्योगिकी उपकरण – आईसीएमएस विकसित किया है जो समयबद्ध तरीके से सभी सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को निर्बाध रूप से निष्पादित करने में आईपी की सहायता करता है। इंटरैक्टिव सत्र में आईपी ने आईसीएमएस का उपयोग करने के अपने अनुभव, आईसीएमएस को अपनाने में कठिनाइयों और सामान्य प्रतिक्रिया पर चर्चा की।

लेनदारों और आईपी का परिप्रेक्ष्य

6.9 आईबीबीआई ने आईपीए के सहयोग से और सीआईबीसी, आईसीएआई द्वारा मुंबई में 15 सितंबर, 2023 को 'लेनदारों और दिवाला व्यावसायिकों का परिप्रेक्ष्य' विषय पर आईपी का एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री रवि मितल, अध्यक्ष, आईबीबीआई, और श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया। सम्मेलन में 'लेनदारों के दृष्टिकोण और अपेक्षाएँ' और 'सीआईआरपी और परिसमापन प्रक्रियाओं में मुख्य सीख' विषयों पर दो पैनल चर्चाएँ शामिल थीं, साथ ही आईबीबीआई प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया।

क्षमता निर्माण

6.10 आईबीबीआई आईपी के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार, प्रशिक्षण और गोलमेजों जैसी विभिन्न क्षमता निर्माण पहल करता है। मार्च 2024 तक, सारणी 25 में सूचीबद्ध 322 ऐसी पहलों का आयोजन किया गया है।

सारणी 25: मार्च 2024 के अंत तक आईपी के लिए क्षमता निर्माण पहल

वर्ष /अवधि	मूलभूत कार्यशालाएं	प्रोन्नत कार्यशालाएं	अन्य कार्यशालाएं	वेबिनार	गोलमेज सम्मेलन	प्रशिक्षण	कुल
2016 – 17	1	–	–	–	8	–	9
2017 – 18	6	–	–	–	44	–	50
2018 – 19	7	–	–	–	22	–	29
2019 – 20	4	6	5	1	22	–	38
2020 – 21	1	2	6	29	18	2	58
2021 – 22	7	7	–	21	12	3	50
2022 – 23	1	3	14	6	6	6	36
2023 – 24	–	–	29	17	5	1	52
कुल	**27**	**18**	**54**	**74**	**137**	**12**	**322**

'आईबीसी – उभरते प्रतिमान और सुधार' पर सम्मेलन

6.11 आईबीबीआई ने सीआईआई के सहयोग से 13 अप्रैल, 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता – उभरते प्रतिमान और सुधार' पर एक सम्मेलन आयोजित किया। आईबीबीआई के अध्यक्ष ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने उक्त सम्मेलन में 'आईबीसी के अधीन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुधार' पर पूर्ण सत्र I में सत्र अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की और श्री संदीप गर्ग, तत्कालीन ईडी, आईबीबीआई ने उक्त सम्मेलन में 'प्री–पैक दिवाला और क्रॉस–बॉर्डर दिवाला तंत्र' पर पूर्ण सत्र II में सत्र अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की।

डेटा प्रसार – आईपी द्वारा कृत असाइनमेंट का विवरण

6.12 अपने डेटा प्रसार प्रयासों के हिस्से के रूप में, आईबीबीआई ने 6 जून, 2023 को अपनी वेबसाइट पर उनके द्वारा कृत सीआईआरपी में आईपी के प्रदर्शन पर डेटा प्रकाशित किया। डेटा से इस पर प्रकाश डाला:– (क) आईपी के साथ असाइनमेंट की संख्या; (ख़) अपील/समीक्षा/निपटान, वापस लिए गए, हल किए गए और परिसमाप्त श्रेणियों में पूर्ण किए गए सीआईआरपी मामलों की संख्या; (ग) जारी सीआईआरपी मामलों की संख्या; (घ) समाधान में लगा समय और परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में वसूली योग्य मूल्य; और (ङ) इस बारे में जानकारी कि आईपी 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक वैध पैनल का हिस्सा है या नहीं।

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.13 आईबीबीआई ने 10 अगस्त, 11 अगस्त और 14 अगस्त, 2023 को 2021 बैच के भारतीय कारपोरेट विधि सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई ने श्री सतीश सेठी, ईडी, आईबीबीआई के साथ प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण सत्रों में आईबीसी का अवलोकन, दिवाला सेवाओं के व्यावसायीकरण का व्यापक अवलोकन और नियामक की भूमिका शामिल थी।

आईबीसी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.14 बोर्ड ने 22–23 सितंबर, 2023 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आईबीसी पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आईबीसी कार्यशाला ईपीएफओ में अनुपालन प्रबंधन पर पांच दिवसीय ऑन–कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा थी। कार्यशाला का उद्देश्य ईपीएफओ के समूह 'ए' अधिकारियों को दिवाला एवं दिवालियापन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण, वैचारिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं से अवगत कराना और उन्हें अद्यतन करना था।

चेन्नई में एनसीएलटी संगोष्ठी

6.15 एनसीएलटी ने एमसीए, आईबीबीआई और एनईएसएल के सहयोग से 3–5 नवंबर, 2023 को चेन्नई में 'समाधान एवं विकास के लिए संगोष्ठीः सर्वोत्तम अभ्यास' विषय पर तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर, अध्यक्ष एनसीएलटी ने की। डॉ. मनोज गोविल, सचिव, एमसीए; श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आईबीबीआई; माननीय श्री रविचंद्रन रामासामी, सदस्य (तकनीकी) एनसीएलटी; और श्री देबज्योति राय चौधरी, एमडी, एनईएसएल ने संगोष्ठी में प्रतिभागियों को संबोधित किया। तीन दिवसीय संगोष्ठी में आईबीसी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मामलों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का सम्मेलन

6.16 आईबीबीआई ने 7 दिसंबर, 2023 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आधे दिन का रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का सम्मेलन आयोजित किया। चर्चाओं में मूल्यांकन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मूल्यांकन पेशे को मजबूत करना, आईबीसी के अधीन मूल्यांकन को मानकीकृत करना और संयंत्र और मशीनरी, भूमि और भवन, साथ ही प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन के मानकीकरण से संबंधित तकनीकी पहलुओं को संबोधित करना शामिल है। इस कार्यक्रम ने आर.वी. को महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार–विमर्श करने, हितधारकों की अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान मंच प्रदान किया।

'लेनदारों की समितिः सार्वजनिक आस्था की संस्था' पर कार्यशाला

6.17 आई.बी.बी.आई. ने एस.बी.आई. तथा आई.बी.ए. के सहयोग से 15 जनवरी, 2024 को "लेनदारों की समितिः सार्वजनिक आस्था की संस्था" विषय पर हाइब्रिड मोड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह आई.बी.बी.आई. द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में दसवीं कार्यशाला थी, जिसका उद्देश्य हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने तथा विचारों को साझा करने के लिए एक पहल के रूप में कार्य करना था। कार्यशाला में सत्रह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों (सहायक महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के) ने भाग लिया। श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.; श्री आलोक कुमार चौधरी, एम.डी. (आर,सी.एण्ड. ए.आर.जी.), एस.बी.आई.; श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, आई.बी.ए. तथा श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यू.टी.एम., आई.बी.बी.आई. ने कार्यशाला के लिए संदर्भ निर्धारित करने के लिए उद्घाटन भाषण दिया। कार्यशाला का उद्देश्य सीओसी की भूमिका और उससे अपेक्षाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित करना तथा वित्तीय समितियों की क्षमता का निर्माण करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीओसी अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन सावधानी और तत्परता से करे, ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

आईबीबीआई और इनसोल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2024

6.18 आईबीबीआई ने इनसोल इंडिया के साथ मिलकर 20 जनवरी, 2024 को ली मेरिडियन, नई दिल्ली में 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016– भविष्य पर नजर' विषय पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया। इस अवसर पर एनसीएलएटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आईबीसी की शुरुआत से लेकर इसके वर्तमान कार्यान्वयन तक की यात्रा एक लचीला, पारदर्शी और प्रभावी दिवाला ढांचा स्थापित करने के लिए भारत के समर्पण को दर्शाती है। इस अवसर पर एनसीएलटी के अध्यक्ष माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

एमसीए के सचिव डॉ. मनोज गोविल और आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने विशेष संबोधन दिया।

कारपोरेट ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम

6.19 आईबीबीआई ने एफसीडीओ के साथ मिलकर 16 फरवरी, 2024 को मुंबई में 'कारपोरेट ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया' पर 'प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें' सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संहिता की समझ में सुधार के लिए मुद्दों पर चर्चा करना, पुनर्गठन प्रक्रियाओं के संभावित समाधानों की फिर से खोज करना और उभरते क्षेत्रों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए पुनर्गठन प्रथाओं पर एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना था। 'प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें' सत्र का मुख्य आकर्षण सत्र से संबंधित केस स्टडी पर आईपी द्वारा चर्चा करना था।

ओडिशा में एनसीएलटी संगोष्ठी

6.20 एनसीएलटी ने एमसीए, आईबीबीआई और एनईएसएल के साथ मिलकर 15–17 मार्च, 2024 को भुवनेश्वर, ओडिशा में तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता एनसीएलटी के अध्यक्ष माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर ने की। डॉ. मनोज गोविल, सचिव, एमसीए; श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई; और श्री देबज्योति राय चौधरी, एमडी, एनईएसएल ने संगोष्ठी में प्रतिभागियों को संबोधित किया। तीन दिवसीय संगोष्ठी में आईबीसी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मामलों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

च.4 अनुसंधान

6.21 सारणी 26 में 2023–24 के दौरान बोर्ड की प्रमुख अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 26: 2023–24 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन

क्र. सं.	माह में प्रकाशित	व्यष्टियाँ
1.	अगस्त, 2023	समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर अध्ययन की रिपोर्ट: आई.बी.सी. के बाद की अवधि में फर्म के परिणाम
2.	अक्तूबर, 2023	आई.बी.बी.आई. का वार्षिक प्रकाशन 2023 जिसका शीर्षक है 'आई.बी.सी. – विकास, सीख और नवाचार'।
3.	अक्टूबर, 2023	शोध प्रकाशन जिसका शीर्षक है 'नवदृष्टि – आई.बी.सी. पर उभरते विचार'।
4.	संबंधित तिमाहियां	वर्ष के दौरान चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक समाचार पत्र।

दिवाला और शोधन अक्षमता पर आईआईएम अहमदाबाद वार्षिक शोध कार्यशाला

6.22 आईआईएम अहमदाबाद ने आईबीबीआई के सहयोग से 11–12 मार्च, 2024 को आईआईएम अहमदाबाद परिसर में दिवाला और शोधन अक्षमता पर अपनी पहली वार्षिक शोध कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों को जोड़ने वाला एक दिवालियापन अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना था। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने उद्घाटन भाषण दिया और आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया। दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर 20 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, साथ ही दिवाला अनुसंधान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र' पर पैनल चर्चा भी हुई। कार्यशाला में आईपी, कानूनी फर्म, परामर्श फर्म, एफसी, सेवा प्रदाता और अन्य व्यावसायिकों सहित आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के बड़ी संख्या में हितधारक शामिल हुए।

समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर अध्ययन की रिपोर्ट: आईबीसी के बाद की अवधि में फर्म के परिणाम

6.23 संहिता के अधीन बचाई गई फर्मों पर समाधान प्रक्रिया के प्रभाव को मापने के लिए, आईआईएम अहमदाबाद को उन फर्मों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो संहिता के अधीन समाधान से गुजर चुकी हैं। आईआईएम अहमदाबाद की रिपोर्ट समाधान प्रक्रिया से पहले और बाद में फर्मों के प्रदर्शन को देखती है, ताकि यह समझा जा सके कि फर्म बाजार में अपनी जगह बनाने में सक्षम हैं या नहीं। रिपोर्ट में क्षेत्र और आकार के अनुसार समाधानित फर्मों के प्रदर्शन की तुलना उनके साथियों से भी की गई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि आईबीसी ढांचे ने समाधानित फर्मों के लिए (i) औसत बिक्री में 76% की वृद्धि, (ii) औसत कर्मचारी व्यय में 50% की वृद्धि की है, जिसे रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, (iii) कुल औसत परिसंपत्तियों में 50% की वृद्धि, (iv) पूंजीगत व्यय में 130% की वृद्धि, (v) समाधानित फर्मों के बाजार मूल्यांकन में तीन गुना वृद्धि (2 लाख करोड़ रुपये से 6 लाख करोड़ रुपये तक), और (vi) समाधानित फर्मों की तरलता में लगभग 80% सुधार हुआ है।

छ परिणामों का विश्लेषण

7.1 आरपी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करते हुए, दिवाला कार्यवाही के परिणामों के आधार पर 2023–24 के दौरान मुख्य परिणाम इस रिपोर्ट के खंड ख में प्रस्तुत किए गए हैं।

उभरती न्यायप्रणाली

7.2 न्यायपालिका ने कई वैचारिक और विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया है, और कई ऐतिहासिक आदेश और निर्णय दिए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि संहिता के अधीन भविष्य के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सारणी 27 में 2023–24 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 27: उभरती न्याय–प्रणाली का सारांश, 2023–24

क्र. सं.	निर्णय	उद्धरण	मंच
	धारा 7 के आवेदनों में एए का विवेकाधिकार		
1.	विदर्भ इंडस्ट्रीज के मामले में लिए गए निर्णय को ऐसे दृष्टिकोण के रूप में पढ़ा और समझा नहीं जा सकता है जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज और ई.एस.कृष्णमूर्ति के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है।	एम. सुरेश कुमार रेड्डी बनाम केनरा बैंक एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 7121/2022)	एससी
	परिसीमन		
2.	संहिता की धारा 61(2) के अंतर्गत अपील दायर करने की सीमा की गणना करने के प्रयोजनार्थ, जिस तारीख को आदेश सुनाया गया था उसे छोड़ दिया जाएगा।	संकेत कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम एपीजी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 748/2023)	एससी
	साविधिक देयताएं		
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों को किसी अन्य निजी और सार्वजनिक संस्था द्वारा दोहराया जा सकता है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देय बकाया राशि संहिता की धारा 53(1)(ई) के अधीन'सरकारी बकाया' के विवरण में नहीं आती है।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम। रमन इस्पात प्रा. लिमिटेड और अन्य (2019 की सिविल अपील संख्या 7976)	एससी
	पीसीए के अधीन आरपी सार्वजनिक सेवक के रूप में		
4.	एक आर.पी. द्वारा निष्पादित कार्य और कर्तव्य की प्रकृति में ऐसे कार्यों का निष्पादन शामिल होता है जो सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति के होते हैं; इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन'लोक सेवक' की परिभाषा में शामिल किया गया है।	संजय कुमार अग्रवाल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद (सीआर. एम.पी. संख्या 1048/2021) झारखंड उच्च न्यायालय	एचसी
5.	किसी आर.पी. द्वारा निष्पादित कर्तव्यों को चिह्नित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, यद्यपि यह 'सार्वजनिक चरित्र' की प्रकृति का प्रतीत होता है।	डॉ. अरुण मोहन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (डब्ल्यू. पी.(सीआरएल) 544/2020 और सीआरएल. एम.ए. 4088/2020) दिल्ली उच्च न्यायालय	एचसी
	समाधान योजना के तहत व्यक्तिगत प्रत्याभूति की समाप्ति		
6.	समाधान योजना में सीओसी द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार व्यक्तिगत गारंटी का त्याग करने की अनुमति है।	बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम उजास एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 6602/2023)	एससी

क्र. सं.	निर्णय	उद्धरण	मंच
	एसआरए द्वारा सीडी के व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन		
7.	एसआरए द्वारा प्रस्तावित सीडी के व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन को सीओसी द्वारा इसकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक विवेक के अधीन स्वीकार किया जा सकता है।	जयदीप घोष एवं अन्य। बनाम नीरज अग्रवाल एवं अन्य। (सीए (एटी) (इं.) संख्या 839 और 861 / 2022)	एनसीएलएटी
	विलंबित दावा		
8.	समाधान योजना प्रस्तुत करने के बाद, नए दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि दावेदार भी उसी राह पर चल सकता है और परिणामस्वरूप एसआरए पर अनिर्णीत दावों का एक विशाल समूह बन जाएगा।	आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मुकुल कुमार एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5590 / 2021)	एससी
	पीएमएलए पर संहिता का अधिभावी प्रभाव		
9.	संहिता की धारा 32ए, जिसमें गैर–बाधक प्रावधान है, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 पर प्रभावी होगी, जो एक परवर्ती कानून है।	शिव चरण एवं अन्य बनाम एए पीएमएलए एवं अन्य के अधीन और संबंधित याचिकाएं (डब्ल्यूपी (एल) संख्या 9943 एवं 29111 / 2023) मुंबईउच्च न्यायालय	एचसी
	मध्यस्थ शुल्क का भुगतान		
10.	संहिता की धारा 14 के अधीन स्थगन, स्थगन घोषित होने से पहले पारित किए गए निर्णय के लिए मध्यस्थ को शुल्क के भुगतान को प्रभावित नहीं करता है	ईडीएसी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम इंडस्ट्रियल फैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (आवेदन संख्या 2080 और 4609 / 2021) मद्रास उच्च न्यायालय	एचसी
	एए की समीक्षा / बुलाने की शक्ति		
11.	समीक्षा की शक्ति एए को प्रदान नहीं की गई है; जबकि एनसीएलएटी नियम, 2016 के नियम 11 के अधीन पर्याप्त आधार पर अपने निर्णय को वापस लेने की शक्ति उसमें निहित है।	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम एमटेक ऑटो लिमिटेड के वित्तीय लेनदार और अन्य (सिविल अपील संख्या 4620 / 2023)	एससी
	समाधान योजना के अंतर्गत घर खरीदारों का व्यवहार		
12.	सीडी की परियोजना के घर खरीदारों को समाधान योजना तैयार करते समय एफसी के विभिन्न वर्गों के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसा भेद कृत्रिम है और यह अति वर्गीकरण के बराबर होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।	विशाल चेलानी एवं अन्य बनाम देबाशीष नंदा (सिविल अपील संख्या 3806 / 2023)	एससी
	एससी द्वारा रेनबो पेपर्स निर्णय की समीक्षा		
13.	समीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के निर्णय को बरकरार रखा जिसमें यह माना गया था कि सरकारी बकाया को सुरक्षित लेनदार माना जाएगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि एक समन्वय पीठ समान संख्या वाली किसी अन्य समन्वय पीठ द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार या दिए गए निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर सकती।	संजय कुमार अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी एवं अन्य (समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1620 / 2023 सिविल अपील संख्या 1661 / 2020 में)	एससी
	परिसमापक द्वारा बोली का निरस्तीकरण		
14.	परिसमापक को विनियमों के माध्यम से लाए गए प्रावधानों के बावजूद नीलामी / बोली को रद्द करने के कारण प्रस्तुत करने होंगे।	ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (सिविल अपील संख्या(एस). 7906 / 2021)	एससी

क्र. सं.	निर्णय	उद्धरण	मंच
	आईबीसी के अधीन पीएफ का उपचार		
15.	कामगारों/कर्मचारियों के हितों के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 327(7) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जो संहिता के अधीन परिसमापन कार्यवाही में पदानुक्रम की प्रयोज्यता को रोकता है। इसने यह भी देखा कि संहिता के अधीन वाटरफॉल तंत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 236 के अधीन पदानुक्रम की तुलना में अधिक लाभप्रद है। कामगारों के हितों की सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, चाहे सुरक्षित लेनदार ने अपना सुरक्षा हित त्याग दिया हो या नहीं।	मोजर बेयर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष महेश चंद शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 421/2019)	एससी
	व्यैक्तिक दिवाला		
16.	सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत दिवालियापन से संबंधित संहिता की धारा 95 से 100 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। धारा 96 के तहत अंतरिम स्थगन ऋण के संबंध में है। यह ऋण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही की शुरुआत या जारी रखने पर रोक लगाता है। आरपी के पास एक सुविधाकर्ता के रूप में कोई निर्णायक कार्य नहीं है जो देनदार या लेनदार के आवेदन पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करता है और आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।	दिलीप बी जिवाराज्का बनाम यूनिअन ऑफ़ इंडिया –अन्य (रिट याचिका (सी) संख्या 2021 का 1281)	एससी
	समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले एमएसएमई रजिस्ट्रीकरण		
17.	संहिता की धारा 240क के अनुसार, सीआईपीपी के दौरान सीडी के प्रमोटर द्वारा एमएसएमई प्रमाणपत्र प्राप्त करना ऐसे प्रमोटर को समाधान आवेदक होने से अयोग्य नहीं ठहराता है।	हरि बाबू थोटा (सिविल अपील संख्या 4422/2023)	एससी
	बोर्ड की शक्तियां		
18.	आईपी को सीआईआरपी का मन और मस्तिष्क माना जाता है, इसलिए उसे थोड़ी सी भी अयोग्यता के साथ नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे संहिता का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। चूंकि आईपी के चयन के लिए कोई सीधा–सादा फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए आईपी विनियमन का विनियमन 4 बोर्ड को आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयुक्त मानदंड तय करने का अधिकार देता है।	पूजा मेंघानी बनाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) 8696/2022)	एचसी
19.	मॉडल बायलॉज विनियमन के खंड 23क की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, क्योंकि यह मनमाना नहीं है और आरपी को निलंबित करने में आईपीए/बोर्ड को बेलगाम और अत्यधिक शक्तियां प्रदान नहीं करता है। आरपी को निलंबित करने में आईपीए विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एससीएन जारी करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने के बाद यह अपने आप हो जाता है।	वी. वेंकट शिव कुमार बनाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या वर्ष 2020 की 16650 और वर्ष 2021 की 14448 और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या वर्ष 2020 की 24548)	एचसी

क्र. सं.	निर्णय	उद्धरण	मंच
	वित्तीय ऋण		
20.	शेयर सब्सक्रिप्शन सह शेयरहोल्डिंग एग्रीमेंट के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश एफसी माना जाता है। इस प्रकार, लेन–देन का प्रभाव वित्तीय ऋण के वाणिज्यिक उधार के रूप में होता है।	संजय डी. काकड़े (निलंबित निदेशक) बनाम एचडीएफसी वेंचर्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और अन्य (सी.ए. (एटी) (इंस.) संख्या 481 / 2023)	एनसीएलटी
	सीआईआरपी में सेट ऑफ़		
21.	दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश टप्प् नियम 6 के अनुसार वैधानिक सेट–ऑफ या परिसमापन प्रक्रिया विनियम के विनियम29 द्वारा अनुमत दिवालियापन सेट–ऑफ को सीआईआरपी पर लागू नहीं किया जा सकता है।	भारती एयरटेल लिमिटेड और अन्य. बनाम विजयकुमार वी. अय्यर एवं अन्य। (2020की सिविल अपील संख्या 3088–3089)	एससी
	दावा प्ररूपों की प्रस्तुति		
22.	एक बार यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो एक वैधानिक निकाय है, ने प्रमाण के साथ एक प्ररूप के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत किया है, तो इसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अलग प्ररूप में प्रस्तुत किया गया है।	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम प्रभजीत सिंह सोनी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या7590–7591 / 2023)	एससी

ज संहिता का प्रभाव

8.1 इस खंड में सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं के संबंध में संहिता के कार्यान्वयन के परिणामों के संदर्भ में, कंपनियों और हितधारकों पर प्रक्रियाओं के परिणामों और दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों, अर्थात लेनदारों (वित्तीय और परिचालन), सीडीज, और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव प्रस्तुत किए गए हैं।

8.2 संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के व्यापक परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में सीडी के जीवन को बचाना है। संहिता ने मार्च, 2024 तक समाधान योजनाओं के माध्यम से 3171 सीडी (947 को समाधान योजनाओं के माध्यम से, 1154 को अपील या समीक्षा या समझौते के माध्यम से और 1070 को वापसी के माध्यम से) को बचाया है। इसने परिसमापन के लिए 2030 सीडी को संदर्भित किया है। समाधान किए गए सीडी से 3.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई जो स्वीकृत दावों की तुलना में 32% से अधिक है और परिसमापन मूल्य की तुलना में लगभग 162% है। समाधान योजनाओं से औसतन सीडी के उचित मूल्य का 84.98% प्राप्त हो रहा है। मार्च 2024 तक 960 सीडी का पूरी तरह से परिसमापन हो चुका है। इन 960 सीडी पर कुल मिलाकर 2.28 लाख करोड़ रुपए के दावे बकाया थे, लेकिन परिसंपत्तियों का मूल्य 0.10 लाख करोड़ रुपए था। इन कंपनियों के परिसमापन से परिसमापन मूल्य की तुलना में 87% वसूली हुई।

(ख) जहां तक स्वीकार किए गए दावों की तुलना में लेनदारों की वसूली का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में कहा गया है कि आईबीसी जैसे सार्वजनिक नीलामी आधारित समाधान मॉडल में, हेयरकट की सीमा उस छूट को दर्शाती है जो बाजार तनावग्रस्त एंटिटी को एक चालू कंपनी के रूप में प्राप्त करने की मांग करता है। चूंकि इन परिसंपत्तियों में पहले से ही उल्लेखनीय मूल्य क्षरण हो चुका है, इसलिए स्वीकार किए गए दावों के साथ प्राप्त मूल्य की तुलना समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उचित संकेतक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, वसूली की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें समग्र व्यापक आर्थिक वातावरण, एंटिटी और उसके क्षेत्र की कथित विकास संभावनाएं और एंटिटी के आंतरिक मूल्य में क्षरण की सीमा शामिल है। जैसे–जैसे व्यापक आधार वाली वसूली जोर पकड़ेगी, ये कारकों में वित्तीय समाधान के अनुकूल होने की संभावना हो जाएगी।

(ग) लगभग 40% सीआईआरपी (जिनमें से 945 के लिए डेटा उपलब्ध है उनमें से 375) जो समाधान योजनाएँ प्रदान करते हैं, पहले बीआईएफआर और/या निष्क्रिय थे। इन सीडी में, दावेदारों ने अपने स्वीकृत दावों का 19.82% और परिसमापन मूल्य के 154.78% वसूली की है। परिसमापन में समाप्त होने वाले 77% से अधिक सीआईआरपी (जिनमें से 2446 के लिए डेटा उपलब्ध है उनमें से 1897) पहले बीआईएफआर और/या निष्क्रिय थे। इनमें से अधिकांश सीडी का आर्थिक मूल्य सीआईआरपी में प्रवेश से पहले ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। परिसमापन में समाप्त होने वाले इन सीडी में औसतन, बकाया ऋण राशि के 6% से अधिक मूल्य की संपत्ति थी।

(घ) संहिता के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इनमें प्रवेश के लिए लंबित मामलों और चल रहे सीआईआरपी की निगरानी शामिल है। इसके अलावा, आईबीबीआई ने आईयू के साथ सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदनों के बारे में जानकारी के वास्तविक समय के आदान–प्रदान के लिए अपने तंत्र को संशोधित किया। इन पहलों का आईबीसी प्रक्रिया पर काफी प्रभाव पड़ा है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों और एफसी द्वारा शुरू किए गए मामलों, जिनमें परिसमापन का आदेश दिया गया है, के प्रवेश में वृद्धि से स्पष्ट है। नीचे दिए गए चित्र 1 में उन मामलों की तुलना में समाधान के साथ समाप्त होने वाले मामलों की संख्या के अनुपात में सुधार को दर्शाया गया है

चित्र 1: परिसमापन आदेशों तक ले जाने वाले समाधान का अनुपात

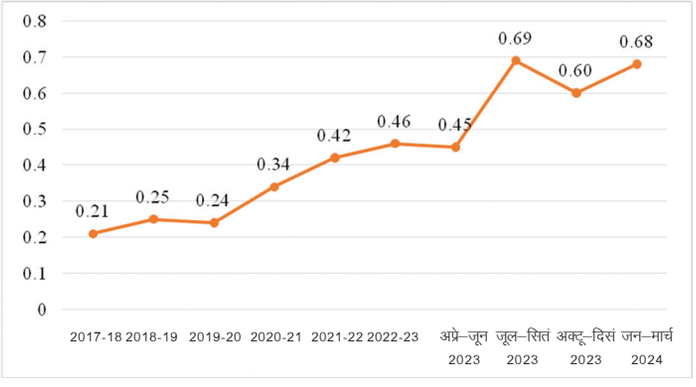

(ङ) संकटग्रस्त परिसंपत्ति का एक जीवन चक्र होता है। यदि संकट का समाधान नहीं किया जाता है तो इसका मूल्य समय के साथ धीरे–धीरे कम होता जाता है। संहिता के विश्वसनीय जोखिम,

कि एक सी.डी. हाथ बदल सकता है, ने देनदारों के व्यवहार में परिवर्तन ला दिया है। हजारों देनदार संकट के शुरुआती चरणों में संकट का समाधान कर रहे हैं। वे तब समाधान कर रहे हैं जब चूक आसन्न है, पुनर्भुगतान के लिए नोटिस मिलने पर लेकिन आवेदन फ़ाइल करने से पहले, आवेदन फ़ाइल करने के बाद लेकिन उसके स्वीकार होने से पहले, और यहां तक कि आवेदन स्वीकार होने के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश कंपनियों को इन चरणों में बचाया जाता है। मार्च, 2024 तक, 10.22 लाख करोड़ रुपये के अंतर्निहित चूक वाले सी.डी. के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 28,818 आवेदन उनके स्वीकार होने से पहले वापस ले लिए गए।

(च) संहिता विभिन्न प्रक्रियाओं को शीघ्रातिशीघ्र बंद करने का प्रयास करती है। 947 सीआईआरपी, जिन्होंने मार्च, 2024 के अंत तक समाधान योजनाएँ प्रदान की हैं, ने प्रक्रिया के समापन के लिए औसतन 565 दिन (एए द्वारा बहिष्कृत समय को छोड़कर) लिए, जबकि परिसमापन मूल्य का 1.22% और समाधान मूल्य का 0.76% औसत लागत वहन की। इसी तरह, 2476 सीआईआरपी, जो परिसमापन के आदेशों में समाप्त हो गए, को समापन के लिए औसतन 495 दिन लगे। इसके अलावा, 960 परिसमापन प्रक्रियाएँ, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ बंद हो गई हैं, को समापन के लिए औसतन 605 दिन लगे। इसी तरह, 1393 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाएँ, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ बंद हो गई हैं, को समापन के लिए औसतन 408 दिन लगे।

एससीबी द्वारा एनपीए समाधान

8.3 आईबीसी के अधीन प्रभावी प्रक्रियाओं ने एससीबी के एनपीए के समाधान में योगदान दिया है। भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट 2022–23 से संकेत मिलता है कि दावों के प्रतिशत के रूप में, एससीबी वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आईबीसी के माध्यम से शामिल राशि का 40.3 प्रतिशत वसूलने में सक्षम हैं। इसके अलावा, एससीबी द्वारा वसूल की गई कुल राशि के संदर्भ में, आईबीसी वसूली के अन्य चैनलों जैसे लोक अदालतों, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और डीआरटी की तुलना में अग्रणी मंच रहा है, जिसकी 2022–23 में वसूल की गई कुल राशि में 43.0 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

आईआईएम अहमदाबाद द्वारा अध्ययन

8.4 यह पहचानना ज़रूरी है कि समाधान की सफलता वसूली के आँकड़ों से कहीं आगे जाती है। आईबीसी के अधीन समाधान प्रक्रिया की उपलब्धियों को मापने के लिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद) ने एक अध्ययन किया है जिसमें संहिता के अधीन समाधान से गुज़रने वाली फर्मों के कामकाज की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट समाधान प्रक्रिया से पहले और बाद में फर्मों के प्रदर्शन को देखती है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या फ़र्म बाज़ार में अपनी जगह बनाने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में क्षेत्र और आकार के हिसाब से समाधानित फर्मों के प्रदर्शन की तुलना उनके समकक्षों से भी की गई है।

8.5 रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- समाधान के बाद तीन वर्षों में औसत बिक्री में 76% की वृद्धि देखी गई है। समाधान से पहले की अवधि की तुलना में समाधानित फर्मों की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय और शुद्ध मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हालांकि शुद्ध मार्जिन नकारात्मक बना हुआ है।

- समाधान के बाद तीन वर्षों में समाधानित फर्मों (सूचीबद्ध) में औसत कर्मचारी व्यय में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। समाधान के बाद की अवधि में फर्मों में कुल रोजगार में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

- रुझान समाधान के बाद समाधानित फर्मों की औसत कुल परिसंपत्तियों में लगभग 50% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। इसके साथ ही औसत पूंजीगत व्यय में 130% की वृद्धि हुई है, जो समाधान के बाद की अवधि में इन फर्मों की बैलेंस शीट में मूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण का संकेत देता है।

- रिपोर्ट में आगे पाया गया है कि समाधान के बाद की अवधि में बेंचमार्क औसत के साथ समाधानित फर्मों के लाभप्रदता अनुपात में अभिसरण है।

- सूचीबद्ध समाधानित फर्मों के बाजार पूंजीकरण के रुझान समाधान के बाद की अवधि में औसत बाजार मूल्यांकन में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार का संकेत देते हैं, जो कि इन फर्मों को लेनदारों के साथ समाधान के बाद मिलने वाले विकास के अवसरों को देखते हुए अपेक्षित है। समाधान के बाद के चरण में सभी समाधानित फर्मों का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कुल मिलाकर, परिणाम बताते हैं कि बाजार ने समाधान के बाद की अवधि में इन फर्मों की क्षमता का मूल्यांकन और स्वीकार किया है।

- समाधान के बाद की अवधि में तरलता में लगभग 80% सुधार हुआ है। रुझान समाधान के बाद की अवधि में समाधानित फर्मों की तरलता में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, दिवालियापन के वर्ष में चालू परिसंपत्तियों की तुलना में चालू देयता में 1.01 से सुधार हुआ है और यह समाधान के बाद तीसरे वर्ष में 1.83 हो गया है।

8.6 आईआईएम अहमदाबाद के अध्ययन में बताया गया है कि कुल मिलाकर, संहिता के अधीन समाधान प्रक्रिया से गुज़रने वाली

समाधानित फर्मों ने दिवाला से पहले की अवधि की तुलना में समाधान के बाद की अवधि में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है। विशेष रूप से, इन फर्मों की लाभप्रदता, तरलता, गतिविधि और टर्नओवर अनुपात समाधान के बाद की अवधि के दौरान बेहतर हुए हैं। ये निष्कर्ष तब और पुष्ट होते हैं जब उनके प्रदर्शन की तुलना उसी उद्योग और आकार दशमलव से प्रदर्शन करने वाले उनके साथियों से की जाती है। इसके अलावा, प्रवृत्ति स्कोर–मिलान विश्लेषण इंगित करता है कि समाधानित फर्मों ने समाधान के बाद की अवधि में फर्मों के तुलनीय समूह के साथ, खासकर लाभप्रदता मेट्रिक्स में, अंतर को कम कर दिया है।

निष्कर्ष

8.7 संहिता ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को प्रभावी और कुशल तरीके से बचाने में मदद की है। संहिता के कारण, जिन फर्मों को बचाया जा सकता है, उनका समाधान करके और जिन फर्मों का कोई मूल्य नहीं है, उन्हें बंद करके, दुर्लभ संसाधनों को प्रभावी उपयोग के लिए आवंटित करने का अवसर मिला है। इससे आगे बढ़कर, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और हितधारक जुड़ाव में सुधार करने के लिए निरंतर उपाय किए जाने से, आशा है कि संहिता का प्रभाव और इसके अधीन परिणाम और भी बेहतर होंगे।

झ बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन

9.1 संहिता में अपेक्षा की जाती है कि आईबीबीआई उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करे। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के खातों की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

9.2 तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है। आईबीबीआई ने इन नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपने खातों का वार्षिक विवरण और तुलनपत्रतैयार किए और लेखा–परीक्षा समिति और उसके जीबी से अनुमोदन कराने के बाद उन्हें लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया है। सी एंड एजीने इन खातों की लेखा–परीक्षा की और अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 1 नवंबर, 2024 को अग्रेषित की।

9.3 जबकि आईबीबीआई को वित्त वर्ष 2023–24, में केंद्र सरकार से 19.00 करोड़ रुपये का कुल अनुदान प्राप्त हुआ, इसने वर्ष के दौरान, 84.31 करोड़ रुपये का आंतरिक राजस्व जुटाया, जिसमें आईपीए/आईपी/आईयू जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रेषित शुल्क शामिल था। सारणी 28 में पिछले वर्ष के संगत डेटा के साथ वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड के वित्तीय निष्पादन को दर्शाया गया है।

सारणी 28: वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आय और व्यय विवरण(राशि लाख रुपये में)

आय	2023–24	2022–23
अनुदान/सब्सिडी	1900.00	2877.53
शुल्क/सदस्यता	8431.23	2364.78
निवेश से आय	–	–
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	–	–
अर्जित ब्याज	449.25	125.90
अन्य आय	3.43	.03
कुल (क)	**10783.91**	**5368.24**
व्यय	**2023–24**	**2022–23**
स्थापना व्यय	2060.12	2259.08
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	1484.94	1403.23
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	–	–
ब्याज	–	–
मूल्यह्रास	129.60	73.41
कुल (ख)	**3674.67**	**3735.72**
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख) **विशेष रिजर्व में अंतरण सामान्य रिजर्व में/से अंतरण**	**7109.23**	**1632.52**
शेष के अधिशेष (घाटा) होने के कारण इसे संचयी/पूंजीगत निधि में ले जाया गया	**7109.23**	**1632.52**

अ सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन

10.1 बोर्ड संविधि का सृजन है। इसके लिए कानून के उपबंधों के साथ–साथ अन्य लागू कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है। सारणी 29 बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करती है।

सारणी 29: सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
1.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	**धारा 16(2):** यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है तो आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।	बोर्ड ने किसी आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सके। 2023–24 में एए से इस संबंध में कोई संदर्भ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।
2.		**धारा 16(4):** बोर्ड, जहां ओसी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है और आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है एए से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, आईपी के नाम की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन पर क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए एए द्वारा सीधे विचार किया जा सकता है। बोर्ड का उल्लेख करते हुए. 2023–24 में एए से इस संबंध में कोई संदर्भ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।
3.		**धारा 22(4):** बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सके। हालाँकि, बोर्ड को इस संबंध में 2023–24 में एएसे कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।
4.		**धारा 34(6):** बोर्ड, एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आईपी के नाम का प्रस्ताव करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन पर क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए एए द्वारा सीधे विचार किया जा सकता है। हालाँकि, बोर्ड को इस संबंध में 2023–24 में एए से 3 संदर्भ प्राप्त हुए और जिनका निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिया गया।
5.		**धारा 97(2):** बोर्ड एए से निदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके। हालाँकि, बोर्ड को इस संबंध में 2023–24 में एएसे कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।
6.		**धारा 97(4):** जहां धारा 94 या 95 के अधीन आवेदन देनदार या लेनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा फ़ाइल किया गया है, लेकिनआरपी के माध्यम से नहीं, बोर्ड, निदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, किसी व्यक्ति की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आरपी को नामांकित करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल करके साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। हालाँकि, बोर्ड को इस संबंध में 2023–24में एएसे कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
7.		**धारा 98(3):** बोर्ड आरपी के प्रतिस्थापन के लिए धारा 98(2) के अधीन एए से संदर्भ प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसे आरपी के नाम की अनुशंसा करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2023–24 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।
8.		**धारा 125(2):** बोर्ड एए से निदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित बीटी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने किसी आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एए को एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सके। 2022–23 में एए से इस संबंध में कोई संदर्भ बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।
9.		**धारा 125(4):** बोर्ड ऐसे मामलों में जहां देनदार या लेनदार द्वारा बीटी प्रस्तावित नहीं है, धारा 125(3) के अधीन एए का निदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर बीटी का नामांकन करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2023–24 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।
10.		**धारा 146(3):** बोर्ड बीटी के त्यागपत्र पर धारा 146(2) के अधीन एए के निदेश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में एक और बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2023–24 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं।
11.		**धारा 147(3):** बोर्ड त्यागपत्र के अलावा किसी भी कारण से रिक्ति होने पर धारा 147(2) के अधीन एए के निदेश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। 2023–24 में बोर्ड को एए से इस संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ।
12.		**दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8(2):** बोर्ड धारा 97(4) और धारा 98(3) के प्रयोजनों के लिए एए से आईपी का पैनल साझा कर करेगा, जिन्हें आरपी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2023 – 30 जून, 2023 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है।
13.		**दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8(2):** बोर्ड संहिता की धारा 125(4) और धारा 146(3) और धारा 147(3) के प्रयोजनों के लिए एए के साथ	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिदेशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार करके साझा किए हैं, जिन पर बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा क्रमशः 01 जुलाई, 2023 – 31 दिसंबर, 2023 और 01 जनवरी, 2024 – 30 जून, 2024 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। बोर्ड ने 2022–23 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए 1 आवेदन निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
		दिवाला व्यावसायिकों का पैनल साझा करेगा, जिन्हें बीटी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।	
14.		**आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 207:** आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को यह समझने का अवसर प्रदान करने के बाद निरस्त किया जा सकता है कि आवेदन को क्यों स्वीकार किया जाए।	बोर्ड ने 2023–24में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए 1 आवेदन को निरस्त कर दिया है।
15.		**आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ पठित धारा 217:** बोर्ड विनियमों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करेगा और उनका निपटान करेगा।	बोर्ड को 2023–24 के दौरान 955 शिकायतें प्राप्त हुईं और वर्ष के दौरान 916 शिकायतों का निपटारा किया गया। शेष शिकायतों की जांच की जा रही है और निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।
16.		**आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ पठित धारा 218:** बोर्ड संहिता के किसी भी उपबंध या बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए निदेशों के कथित उल्लंघन के मामले में आईपी, आईपीए या आईयू का निरीक्षण कर सकता है।	बोर्ड ने 2023–24 के दौरान 223 निरीक्षण/अन्वेषण शुरू किए और वर्ष के दौरान 263 निरीक्षण पूरे किए। शेष निरीक्षण चल रहे हैं और समापन की प्रक्रिया में हैं।
17.		**आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 220:** डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का तर्कसंगत आदेश द्वारा निपटान करेगा।	अनुपालन किया जा रहा है।
18.		**आईबीबीआई (खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 223:** बोर्ड उचित खाते बनाएगा और ऐसे खातों की सी एंड एजी से लेखापरीक्षा कराई जाएगी।	बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपना वार्षिक लेखा–जोखा तैयार कर लिया है। सीएजी ने उसका ऑडिट किया और उस पर ऑडिट रिपोर्ट अपने तारीख नवंबर 1, 2024 के पत्र द्वारा अग्रेषित की।
19.		**आईबीबीआई (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 229:** बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथानिर्धारित प्रारूप और समय पर, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।	2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट 29 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>अपेक्षित अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>20.</td><td></td><td>धारा 230: बोर्ड, एक आदेश द्वारा, अपनी यथा–आवश्यक शक्तियों और कार्यों को सौंप सकता है,</td><td>बोर्ड ने 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 जारी किया। इसने 25 अप्रैल, 2018, 02 जुलाई, 2020; 7 जून, 2022 और 4 जनवरी, 2023 को उक्त आदेश में संशोधन किया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td></td><td>धारा 236: बोर्ड शिकायत फ़ाइल कर सकता है।</td><td>बोर्ड ने 2023–24 के दौरान विशेष न्यायालय में 5 शिकायतें फ़ाइल कीं।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td></td><td>धारा 240: बोर्ड को धारामें निर्दिष्ट मामलों पर विनियमबनाने की आवश्यकता है।</td><td>बोर्ड ने शासी बोर्ड की स्वीकृति से 2023–24 के दौरान 12 संशोधन विनियम तैयार किए।
31 मार्च, 2024 तक, बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख नियम तैयार किए हैं:
(क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, मॉडल उपनियम और आईपीए, आईपीए और आईयू के जीबी) को विनियमित करने के लिए चार विनियम;
(ख) प्रक्रियाओं (सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, पीजी से सीडी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया, पीजी से सीडी और पीपीआईआरपी के लिए दिवाला प्रक्रिया) को विनियमित करने के लिए सात विनियम; और
(ग) सात विनियम (बोर्ड की आंतरिक कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए (सलाहकार समिति, शासी बैठकों की प्रक्रिया, आरए और सलाहकारों की नियुक्ति, निरीक्षण और अन्वेषण, कर्मचारियों की सेवा, शिकायत और परिवाद प्रबंधन प्रक्रिया और विनियम जारी करने के लिए तंत्र)।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td></td><td>धारा 241: विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।</td><td>बोर्ड ने 2023–24 में अधिसूचित 12 विनियमों को संसद के समक्ष रखने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेजा, जिनमें से 5 को 2023–24 के दौरान संसद के समक्ष रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)</td><td>धारा 37(1): इसमें कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अगले माह के दसवें दिन से पहले वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
हालाँकि, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख निम्नानुसार अधिसूचित की गईं:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल 2023</td><td>11 मई, 2023</td></tr>
<tr><td>मई 2023</td><td>11 जून, 2023</td></tr>
<tr><td>जून 2023</td><td>11 जून, 2023</td></tr>
<tr><td>जुलाई 2023–मार्च 2024</td><td>अगले माह का 11वां दिन</td></tr>
</table></td><td>बोर्ड ने अपेक्षित विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table>
<tr><th>के माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr>
<tr><td>अप्रैल 2023</td><td>11 मई, 2023</td></tr>
<tr><td>मई 2023</td><td>10 जून, 2023</td></tr>
<tr><td>जून 2023</td><td>11 जुलाई, 2023</td></tr>
<tr><td>जुलाई 2023</td><td>11 अगस्त, 2023</td></tr>
<tr><td>अगस्त 2023</td><td>11 सितंबर, 2023</td></tr>
<tr><td>सितंबर 2023</td><td>11 अक्तूबर, 2023</td></tr>
<tr><td>अक्तूबर 2023</td><td>10 नवंबर, 2023</td></tr>
<tr><td>नवंबर 2023</td><td>11 दिसंबर, 2023</td></tr>
<tr><td>दिसंबर 2023</td><td>11 जनवरी, 2024</td></tr>
<tr><td>जनवरी 2024</td><td>10 फरवरी, 2024</td></tr>
<tr><td>फरवरी 2024</td><td>11 मार्च, 2024</td></tr>
<tr><td>मार्च 2024</td><td>10 अप्रैल, 2024</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>अपेक्षित अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>25.</td><td></td><td>धारा 38(2): इसमें कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को दसवें दिन के बाद लेकिन अगले माह के पंद्रहवें दिन या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से वस्तुओं या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की गईं:
<table><tr><td>माह के लिए</td><td>अंतिम तारीख</td></tr><tr><td>अप्रैल 2023</td><td>22 मई 2023</td></tr><tr><td>मई 2023– मार्च 2024</td><td>अगले माह का 20 दिन</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने अपेक्षित विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल 2023</td><td>19 मई, 2023</td></tr><tr><td>मई 2023</td><td>20 जून, 2023</td></tr><tr><td>जून 2023</td><td>20 जुलाई, 2023</td></tr><tr><td>जुलाई 2023</td><td>19 अगस्त, 2023</td></tr><tr><td>अगस्त 2024</td><td>19 सितंबर, 2023</td></tr><tr><td>सितंबर 2023</td><td>20 अक्तूबर, 2023</td></tr><tr><td>अक्तूबर 2023</td><td>18 नवंबर, 2023</td></tr><tr><td>नवंबर 2023</td><td>19 दिसंबर, 2023</td></tr><tr><td>दिसंबर 2024</td><td>20 जनवरी, 2024</td></tr><tr><td>जनवरी 2024</td><td>20 फरवरी, 2024</td></tr><tr><td>फरवरी 2024</td><td>20 मार्च, 2024</td></tr><tr><td>मार्च 2024</td><td>19 अप्रैल, 2024</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>26.</td><td></td><td>धारा 44(1): इसमें कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के इकतीसवें दिन या उससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
धारा 44(2): इसमें प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को ऑडिट किए गए वार्षिक खातों की एक प्रति और एक समाधान विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।</td><td>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिटर्न 30 दिसंबर, 2023 को दाखिल किया।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td></td><td>धारा 51(1): इसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतान से स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है।

धारा 39(3): इसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उस महीने के लिए जिसमें कटौती की गई है, ऐसे महीने के अंत के बाद दस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।</td><td>बोर्ड ने अपेक्षित विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल 2023</td><td>11 मई, 2023</td></tr><tr><td>मई 2023</td><td>10 जून, 2023</td></tr><tr><td>जून 2023</td><td>11 जुलाई, 2023</td></tr><tr><td>जुलाई 2023</td><td>11 अगस्त, 2023</td></tr><tr><td>अगस्त 2023</td><td>11 सितंबर, 2023</td></tr><tr><td>सितंबर 2023</td><td>11 अक्तूबर, 2023</td></tr><tr><td>अक्तूबर 2023</td><td>10 नवंबर, 2023</td></tr><tr><td>नवंबर 2023</td><td>11 दिसंबर, 2023</td></tr><tr><td>दिसंबर 2023</td><td>11 जनवरी, 2024</td></tr><tr><td>जनवरी 2024</td><td>10 फरवरी, 2024</td></tr><tr><td>फरवरी 2024</td><td>6 मार्च, 2024</td></tr><tr><td>मार्च 2024</td><td>10 अप्रैल, 2024</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>अपेक्षित अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>28.</td><td>आयकर विभाग, 1961</td><td>धारा 139: बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।</td><td>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24के लिए अपना आयकर रिटर्न तारीख अक्टूबर 31, 2024 कोफ़ाइल किया।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td></td><td>धारा 200: बोर्ड वेतन, अनुबंध और पेशेवर सेवाओं के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती और जमा करेगा:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल 2022– फरवरी 2024</td><td>महीने के अंत से सात दिनों के भीतर</td></tr><tr><td>मार्च 2023</td><td>30 अप्रैल 2023</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने अपेक्षित टीडीएस काटा और उसे हर माह निम्नानुसार जमा किया:
<table><tr><td>अप्रैल 2023</td><td>4 मई, 2023</td></tr><tr><td>मई 2023</td><td>6 जून, 2023</td></tr><tr><td>जून 2023</td><td>6 जुलाई, 2023</td></tr><tr><td>जुलाई2023</td><td>3 अगस्त, 2023</td></tr><tr><td>अगस्त 2023</td><td>6 सितंबर, 2023</td></tr><tr><td>सितंबर2023</td><td>5 अक्तूबर, 2023</td></tr><tr><td>अक्तूबर2023</td><td>6 नवंबर, 2023</td></tr><tr><td>नवंबर 2023</td><td>7 दिसंबर, 2023</td></tr><tr><td>दिसंबर 2023</td><td>5 जनवरी, 2024</td></tr><tr><td>जनवरी 2024</td><td>6 फरवरी, 2024</td></tr><tr><td>फरवरी 2024</td><td>7 मार्च, 2024</td></tr><tr><td>मार्च 2024</td><td>30 अप्रैल, 2024</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>30.</td><td></td><td>आयकर नियम, 1962 का नियम 31क: बोर्ड निम्नानुसार कर कटौती का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा:
<table><tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>30 जून 2023</td><td>31 जुलाई 2023</td></tr><tr><td>30 सितंबर 2023</td><td>31 अक्तूबर 2023</td></tr><tr><td>30 दिसंबर 2023</td><td>31 जनवरी 2024</td></tr><tr><td>31 मार्च 2024</td><td>31 मई 2024</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने स्रोत पर करा कटौती का विवरण निम्नानुसार फाइल किया:
<table><tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>30 जून 2023</td><td>31 जुलाई 2023</td></tr><tr><td>30 सितंबर 2023</td><td>31 अक्तूबर 2023</td></tr><tr><td>31 दिसंबर 2023</td><td>31 जनवरी 2024</td></tr><tr><td>31 मार्च 2024</td><td>26 मई 2024</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</td><td>धारा 4(1)(ख): बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर खुलासा करेगा।</td><td>बोर्ड ने ये खुलासे आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार किए हैं।</td></tr>
<tr><td>32.</td><td></td><td>धारा 7(1): सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को जानकारी प्रदान करेगा।</td><td>सीपीआईओ ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 236 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया। इसने आरटीआई अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों में जानकारी प्रदान की।</td></tr>
<tr><td>33.</td><td></td><td>धारा 19(6): एफएए 45 दिनों के भीतर अपीलों का निपटारा करेगा।</td><td>एफएए ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय के भीतर 37 अपीलों का निपटारा किया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
34.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध और उन्मूलन) अधिनियम, 2013	बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।	आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।
35.	सामान्य वित्तीय नियम, 2017	**नियम 229 (xi):** बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा।	बोर्ड ने अक्टूबर 13, 2023 को 2023–24 के लिए एमसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
36.		**नियम 230(8):** इसमें बोर्ड को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनुदान सहायता पर सभी ब्याज या अन्य कमाई भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में भेजना अपेक्षित है।	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज 30 नवम्बर, 2023 को सीएफआई को भेज दिया गया है।
37.		**नियम 234:** अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था के रूप में, बोर्ड के लिए अनुदान रजिस्टर का रखरखाव करना और हर वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। **नियम 238:** बोर्ड के लिए प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।	बोर्ड अनुदानों का रजिस्टर रखता है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एमसीए को तारीख 12 जुलाई, 2024 को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर चुका है।
38.	रोजगार संबंधी नियम	भर्ती में आरक्षण	वर्ष के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं हुई।
39.		**कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि/पेंशन:** बोर्ड कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन अंशदान की कटौती करके उसे जमा करेगा।	बोर्ड ने अंशदान की कटौती की: (क) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में, भविष्य निधि अंशदान और नियोक्ता के योगदान के साथ उनके संबंधित नियोक्ताओं को भेज दिया गया। (ख) नियमित कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशदान को उनके संबंधित एनपीएस खातों में जमा किया जाता है। (ग) अध्यक्ष और डब्ल्यूटीएम के संबंध में अंशदायी भविष्य निधि की कटौती करके नियोक्ता के योगदान के साथ, आवर्ती और सावधि जमा में जमा किया गया।
40.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त जनशक्ति के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाए।	बोर्ड ने जनशक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया है।
41.	अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन अधिनियम, 1970	**धारा 7:** मुख्य नियोक्ता के रूप में, बोर्ड को निबंधक के माध्यम से जनशक्ति की तैनाती के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।	बोर्ड ने 03 सितंबर, 2020 को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। हालाँकि, यह अधिनियम तब से समाप्त कर दिया गया है।

ट संगठनात्मक मामले

उत्तरदायित्व केन्द्र

शासी बोर्ड

11.1 सारणी 30 में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार जीबी के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 30: 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड

नाम	के रूप में नियुक्त किया गया	नियुक्ति की तारीख
श्री रवि मितल	अध्यक्ष	09.02.22
श्री सुधाकर शुक्ल	डब्ल्यूटीएम	14.11.19
डॉ. जयंती प्रसाद	डब्ल्यूटीएम	05.07.22
श्री संदीप गर्ग	डब्ल्यूटीएम	27.10.23
डॉ राजीव मणि	पदेन सदस्य	26.02.19
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	01.10.16
सुश्री अनिता शाह अकेला	पदेन सदस्य	05.07.22
सुश्री ऋतू जैन	पदेन सदस्य	06.10.22
श्री एम. पी. राम मोहन	अंशकालिक सदस्य	19.02.24
श्री दीनबंधु महापात्र	अकालिक सदस्य	19.02.24

डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का आईबीबीआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में त्यागपत्र

11.2 केंद्र सरकार ने 28 अगस्त, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से 1 नवंबर, 2022 से आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के पद से डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। जीबी ने आईबीबीआई और नवजात दिवाला व्यवस्था में उनके अमूल्य योगदान के लिए भूरि–भूरि सराहना व्यक्त की।

श्री बी. श्रीराम का आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होना

11.3 श्री बी. श्रीराम ने 20 सितंबर, 2023 को आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। जीबी ने श्री बी. श्रीराम द्वारा आईबीबीआई और नवजात दिवाला व्यवस्था में किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए गहरी श्रद्धा व्यक्त की।

श्री संदीप गर्ग की आईबीबीआई में डब्ल्यूटीएम के रूप में नियुक्ति

11.4 केंद्र सरकार ने 30 नवंबर, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री संदीप गर्ग को 27 अक्टूबर, 2023 से पांच साल की अवधि के लिए या जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आईबीबीआई में डब्ल्यूटीएम के रूप में नियुक्त किया।

श्री एम.पी. राम मोहन की आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति

11.5 केंद्र सरकार ने 19 फरवरी, 2024 की अधिसूचना के अधीन श्री एम. पी. राम मोहन, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को पांच साल की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

श्री दीनबंधु महापात्र की आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति

11.6 केंद्र सरकार ने 19 फरवरी, 2024 के आदेश के अधीन श्री दीनबंधु महापात्र, बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ को आईबीबीआई में पांच साल की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

लेखा परीक्षा समिति

11.7 लेखापरीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखापरीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जी.बी. की सहायता करती है। लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 28 दिसंबर, 2023 से प्रभावी हुआ और 31 मार्च, 2024 तक इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

(क) सुश्री अनीता शाह अकेला, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

(ख) डॉ. राजीव मणि, सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

(ग) श्री जयंती प्रसाद, सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

अनुशासनात्मक समिति

11.8 संहिता में संहिता की धारा 220(1) के अधीन एस.सी.एन. पर विचार करने और उनका निपटान करने के लिए डब्ल्यू.टी.एम. (एस) से युक्त डी.सी. की परिकल्पना की गई है। समीक्षाधीन अवधि में डी. सी. का गठन सारणी 33 में दर्शाया गया है।

सारणी 31: अनुशासन समिति का गठन

गठन की तारीख	संरचना
01.11.23	डीसी 1: श्री रवि मितल, अध्यक्ष डीसी 2: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम डीसी 3: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 4: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 5: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम

आंतरिक शिकायत समिति

11.9 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, बोर्ड ने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, की जांच के लिए 1 सितंबर, 2017 को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया। 31 मार्च, 2024 को आईसीसी में निम्नानुसार शामिल थे:

(क) डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्व–डब्ल्यूटीएम, पीठासीन अधिकारी और विशेषज्ञ

(ख) सुश्री मेधा शेखर, प्रबंधक, सदस्य

(ग) सुश्री मनप्रीत कौर, प्रबंधक, सदस्य

(घ) श्री अभिषेक मित्तापल्ली, सदस्य सचिव

मानव संसाधन

11.10 आईबीबीआई का प्रयास नवोदित दिवाला व्यवस्था और संबंधित संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सही प्रतिभा और दृष्टिकोण वाले व्यावसायिकों को आकर्षित करना है। यह अपने कर्मचारियों में आउट–ऑफ़–बॉक्स सोच की तलाश करता है। यह अपने कर्मचारियों को उनके कौशल को निखारने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करता है और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

अनुसंधान एसोसिएट्स

11.11 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र/सार्वजनिक नीति, विधि और व्यवसाय प्रबंधन के विषयों से अनुबंध के आधार पर 14 अनुसंधान एसोसिएट्स थे।

कर्मचारी

11.12 सारणी 32 में 31 मार्च, 2024 को अनुमोदित संख्या की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या प्रस्तुत है।

सारणी 32: आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	31 मार्च, 2023 को वास्तविक संख्याबल	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
		संस्वीकृत संख्याबल	वास्तविक संख्याबल	भर्ती की विधि
ईडी	4	4	4	प्रतिनियुक्ति
सीजीएम	3	4	1	प्रतिनियुक्ति
जीएम	5	8	4	प्रतिनियुक्ति
डीजीएम	6	6	6	प्रतिनियुक्ति
एजीएम	2	6	2	प्रतिनियुक्ति
प्रबंधक	20	22	18	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
पूर्वाह्न	3	18	3	प्रतिनियुक्ति
जीए/पीए–III	0	10	0	एनए
कुल	**43**	**78**	**38**	–

आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिदेश, 2023

11.13 आईबीबीआई ने 14 नवंबर, 2023 को आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिदेश, 2023 जारी किए, ताकि उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जा सके जो दिवाला, परिसमापन, शोधन अक्षमताया किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक करियर बनाना चाहते हैं। इंटर्नशिप दिशानिदेश पात्रता की शर्तें, इंटर्नशिप की अवधि, इंटर्न की संख्या, छात्रवृति, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स और सहायता, एक इंटर्न के कर्तव्य और आईबीबीआई में इंटर्नशिप से संबंधित अन्य दिशानिदेश निर्धारित करते हैं।

इंटर्न्स

11.14 ऐसा छात्र जो विधि में पांच वर्ष या तीन वर्ष का डिग्री कोर्स या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या विधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा है, और उसने ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष या चरण पूरा कर लिया है; या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या विधि में एम. फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहा छात्र आईबीबीआई के साथ प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने का पात्र है। 2023–24 के दौरान, 37 छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन

11.15 सारणी 33 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों का विवरण प्रस्तुत है, जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के उभरते क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया।

सारणी 33: 2022–23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया

क्र. सं.	तारीख(खें)	कार्यक्रम'	द्वारा आयोजित	अधिकारियों की संख्या
1.	24.07.23 – 28.07.23	कारपोरेट और घरेलू दिवाला पर कार्यशाला, सिंगापुर	आईएमएफ और सिंगापुर प्रशिक्षण संस्थान	2
2.	04.08.23 – 05.08.23	दिवाला समाधान पर आईसीएआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सिंगापुर	आईसीएआई सिंगापुर चैप्टर	6
3.	11.09.23 – 13.09.23	इनसोल टोक्यो सम्मेलन और विधिक और विनियामक संगोष्ठी, टोक्यो, जापान	आईएनएसओएल इंटरनेशनल	2
4.	18.09.23 – 21.09.23	आईएआईआर वार्षिक सम्मेलन और एजीएम, बेलग्रेड, सर्बिया	आईएआईआर	2
5.	03.10.23 – 04.10.23	व्यवसाय मूल्यांकन सम्मेलन, सिंगापुर	आईवीएएस आईवीएससी	2
6.	26.10.23 – 27.10.23	मूल्यांकन व्यवसाय के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन	आईआईवीआरवीएफ	2
7.	22.11.23 – 23.11.23	सिंगापुर दिवाला सम्मेलन 2023	आईपीएएस एंड लॉ सोसाइटी ऑफ़ सिंगापुर	3

11.16 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान अपने सभी अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए, जिसका विवरण सारणी 34 में दिया गया है।

सारणी 34: आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम/विषय की प्रकृति	संकाय
1	01.06.23	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) और समाधान फ्रेमवर्क	ईजीआरओडबल्यू फाउंडेशन
2	09.06.23	मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	क्षेत्र विशेषज्ञ
3	02.08.23	नीति प्रभाव और पर्यावरण न्याय के बारे में अनुसंधान	प्रो. एंगोबो एमेसेह, स्कूल ऑफ लॉ के प्रमुख, और डॉ. नीति शिखा, ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके में व्याख्याता
4	08.08.23	सीएमआईई कौशल मॉड्यूल के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र	सीएमआईई
5	28.02.24	'सूचना का अधिकार' पर सत्र	श्री दीपक कुमार बिष्ट, संयुक्त निदेशक, आईएसटीएम
6	14.03.24	अभियोजन वित्तपोषण पर सत्र	सुश्री एंटोनिया मेनेजेस, वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ, विश्व बैंक; और श्री चार्ल्स बूथ, दिवाला पर विश्व बैंक विशेषज्ञ
7	20.03.24	कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का मसौदा तैयार करने, अनुशासन समिति के आदेश, न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष दलीलें और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जानकारी देने पर सत्र	श्री विकास मेहता, अधिवक्ता

शिकायत निवारण अधिकारी

11.17 आईबीबीआई ने 7 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश के अधीन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार श्री सुशांत कुमार दास, डीजीएम को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया।

वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप

वार्षिक कार्यनीति बैठक

11.18 आईबीबीआई कार्यनीतिक कार्य योजना विकसित करने के लिए वार्षिक कार्यनीति बैठकों का आयोजन कर रहा है जो इसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करती है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करती है, और आने वाले वर्ष के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप–कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। वर्ष 2023–24 के लिए कार्यनीति बैठक 2 मई, 2023 को और 7 अप्रैल, 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

11.19 आईबीबीआई ने 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। श्री अजय कुमार जैन, आईपी और योग प्रशिक्षक द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए योग और ध्यान पर एक वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की गई। योग सत्र में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शामिल था।

हिंदी दिवस

11.20 आईबीबीआई ने 14 सितंबर, 2023 से 27 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। इसने 14 सितंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को आधिकारिक नोटिंग और पत्रों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पखवाड़े के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य कार्यकलाप जैसे निबंध प्रतियोगिता और ज्ञान प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा

11.21 आईबीबीआई ने 20 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ लेकर और उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करके स्वच्छता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व, कार्यालय परिसर के भीतर एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों के निषेध, सूखे और गीले कचरे को अलग करने की प्रथा और अनावश्यक दस्तावेजों को हटाने के बारे में जागरूक किया गया।

वार्षिक दिवस

11.22 आईबीबीआई ने 1 अक्टूबर, 2023 को अपना सातवां वार्षिक दिवस मनाया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, माननीय अध्यक्ष, एनसीएलएटी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, माननीय अध्यक्ष, एनसीएलटी ने वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। डॉ. मनोज गोविल, सचिव, एमसीए और श्री रवि मितल, अध्यक्ष, आईबीबीआई ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और दिवाला शासन के हितधारक, अर्थात् सरकारी और नियामक निकायों के अधिकारी, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां (आईपीए) और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ), दिवाला व्यावसायिक (आईपी), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी), अन्य व्यावसायिक, देनदार, लेनदार, व्यापारिक नेता और शिक्षाविद एक साथ आए। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन सीधा प्रसारण भी किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

11.23 आईबीबीआई ने वर्ष 2023 के लिए 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक 'भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने मयूर भवन कार्यालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई, जबकि आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम श्री संदीप गर्ग ने बोर्ड के जीवन विहार कार्यालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई। आईबीबीआई को केंद्रीय सतर्कता आयोग से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 1 नवंबर, 2023 को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों से संबंधित विषयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अंतरराष्ट्रीयमहिला दिवस

11.24 आईबीबीआई ने 8 मार्च, 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 मनाया। संगोष्ठी का विषय 'प्रेरणा समावेश' था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. नीता सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके संबोधन में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रेरणा और लचीलेपन की भावना झलकी। उन्होंने जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों सहित बहुआयामी मुद्दों पर प्रकाश डाला, जो महिलाओं के जीवन भर उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करते हैं।

सूचना का अधिकार और पारदर्शिता

11.25 पारदर्शिता के हित में, आईबीबीआई अपनी वेबसाइट पर विनियमों, परिपत्रों और न्यायनिर्णयनों और सेवा प्रदाताओं और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के विवरण से संबंधित विभिन्न खुलासे करता है। इसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम)

की धारा 4 के अधीन निर्धारित प्रकटीकरण को अद्यतन किया, साथ ही किसी भी नागरिक को उसके पास भेजे गए आवेदन पर सूचना प्रदान की।

11.26 आईबीबीआई ने श्री राजेश कुमार, जीएम को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया है, ताकि अधिनियम के अधीन किए गए आवेदन पर किसी भी नागरिक को सूचना प्रदान की जा सके। आईबीबीआई ने श्री सी. रामचंद्र राव, जीएम को लिंक–सीपीआईओ नामित किया है।

11.27 आईबीबीआई ने श्री जितेश जॉन, ईडी को आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है। श्री रितेश कावड़िया, ईडी लिंक–एफएए हैं।

11.28 सारणी 35 में वर्ष 2023–24 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निस्तारण का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 35: आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निस्तारण

क्र. सं.	विवरण	संख्या	
		2022–23	2023–24
1	पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन	18	13
2	आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने के लिए सीपीआईओ द्वारा प्राप्त आवेदन	302	262
3	आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की गई है	307	236
4	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	13	39
5	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अपीलें	0	4
6	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष दायर अपीलें	63	34
7	अपीलें जिनका एफएए द्वारा निस्तारण किया गया	59	37
8	एफएए के पास लंबित अपीलें	4	1
9	निर्धारित समय सीमा में निस्तारण न किए गए आवेदन/अपीलें	0	0